भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/216

विवि.एसीसी.आरईसी.सं.135/21.04.018/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 (1 अप्रैल, 2026 तक अद्यतन)

विषय सूची

अध्याय I - प्रारंभिक 3

ए. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – 3

बी. प्रयोज्यता 3

अध्याय II-तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता 4

ए. तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते का प्रारूप 4

बी. संकलन के लिए टिप्पणियां और निदेश 4

सी. कुछ लेखांकन मानकों के संबंध में विशिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन 25

अध्याय III-वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - लेखा संबंधी टिप्पणियाँ 36

ए. सामान्य 36

बी. प्रस्तुतिकरण 36

सी. प्रकटीकरण आवश्यकताएं 36

अध्याय IV- समेकित वित्तीय विवरण 63

अध्याय V- अन्य निदेश 65

ए. अंतर-शाखा खाता - निवल डेबिट शेष के लिए प्रावधान 65

बी. नोस्ट्रो खाते का मिलान और बकाया प्रविष्टियों का उपाय 65

सी. आरक्षित निधियों से अंतरण/विनियोजन 66

डी. धोखाधड़ी के लिए प्रावधान 67

ई. असमाधानकृत शेष 67

एफ. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत बनाए गए विशेष रिज़र्व पर आस्थगित कर देयता (डीटीएल) 67

जी. विंडो ड्रेसिंग 67

अध्याय VI- निरसन और अन्य प्रावधान 69

ए. निरसन और व्यावृत्ति 69

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं 69

सी. व्याख्याएँ 69

अनुबंध I 71

अनुबंध II 85

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों / कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. यह निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. यह निदेश भुगतान बैंकों (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से 'बैंकों' और व्यक्तिगत रूप से 'बैंक' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) पर लागू होंगे।

अध्याय II-तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता

ए. तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते का प्रारूप

4. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के संदर्भ में, बैंक अपने द्वारा किए गए सभी कारोबार के संबंध में वर्ष के अंतिम कार्य दिवस या अवधि के अनुसार, जैसा भी मामला हो, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्रों में तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता तैयार करेगा। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना एस.ओ.240(ई) दिनांक 26 मार्च 1992 के माध्यम से तीसरी अनुसूची में प्रपत्रों को विनिर्दिष्ट किया है। इन्हें इन निदेशों के **अनुबंध I** में पुन: प्रस्तुत किया गया है।

बी. संकलन के लिए टिप्पणियां और निदेश

5. बैंक नीचे उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते के संकलन के लिए सामान्य निदेशों का पालन करेगा। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / दिशा निर्देशों के अधीन, समय-समय पर संशोधित कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

नोट: संकलन के निदेशों में किसी गतिविधि, लेनदेन या मद का उल्लेख मात्र यह नहीं दर्शाता है कि इसकी अनुमति है, और बैंक किसी गतिविधि या लेनदेन की अनुमति या अन्यथा का निर्धारण करते समय मौजूदा सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं का संदर्भ देगा।

(1) तुलन पत्र संकलन के लिए अनुदेश

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
पूंजी	1		राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए पूंजी (केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व में)	-
			भारत के बाहर निगमित बैंकों के लिए पूंजी	-

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
			अन्य बैंकों के लिए प्राधिकृत पूंजी (_____रूपये प्रति शेयर वाले ___ शेयर) जारी पूंजी (_____ रूपये प्रति शेयर वाले ___ शेयर) अभिदत्त पूंजी (_____रू. के ___ शेयर) कॉल-अप पूंजी (प्रत्येक _____रू. के ___ शेयर) घटाइए: अदत्त मांग जोडीए: समप्रहृत शेयर	अधिकृत, निर्गमित, अभिदानित, आकलित पूंजी अलग से दी जाएगी। बकाया कॉलों की कॉल-अप पूंजी से कटौती की जाएगी, जबकि जब्त किए गए शेयरों के चुकता मूल्य को इस प्रकार चुकता पूंजी पर पहुंचने के लिए जोड़ा जाएगा। जहां आवश्यक हो, जिन वस्तुओं को जोड़ा जा सकता है, उन्हें एक शीर्ष के तहत दिखाया जाएगा, उदाहरण के लिए 'जारी और अभिदान पूंजी'। *नोट - सामान्य:* 1. उपरोक्त मदों में परिवर्तन, यदि कोई हो, जैसे, वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा किया गया नया योगदान, पूंजी का नया मुद्दा, रिज़र्व का पूंजीकरण, आदि को नोट में समझाया जाएगा। 2. टियर 1 विनियामकीय पूंजी के हिस्से के रूप में शामिल स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयर (पीएनसीपीएस) को यहां शामिल किया जाएगा।
आरक्षितिया और अधिशेष	2	(I)	कानूनी आरक्षितिया	धारा 17(1), 11(2)(b)(ii) (इस मास्टर निदेश के अध्याय VI के पैराग्राफ 20 के साथ पठित) या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की किसी अन्य धारा के अनुपालन में लाभ से सृजित रिज़र्व का अलग से खुलासा किया जाएगा।
		(II)	पूंजी आरक्षितिया	अभिव्यक्ति 'पूंजीगत भंडार' में लाभ और हानि खाते के माध्यम से वितरण के लिए मुफ्त मानी जाने वाली कोई भी राशि शामिल नहीं होगी। पुनर्मूल्यांकन पर अधिशेष पूंजी भंडार के रूप में

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
				माना जाएगा। विदेशी शाखाओं (जिसमें अचल संपत्ति भी शामिल है) के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर अधिशेष पुनर्मूल्यांकन आरक्षित नहीं है।
		(III)	शेयर प्रीमियम	शेयर पूंजी के निर्गम पर प्रीमियम इस शीर्ष के अंतर्गत अलग से दिखाया जाएगा।
		(IV)	राजस्व और अन्य आरक्षितिया	अभिव्यक्ति 'राजस्व आरक्षित' का अर्थ कैपिटल रिज़र्व के अलावा कोई भी अन्य रिज़र्व होगा। इस मद में अलग-अलग वर्गीकृत के अलावा अन्य सभी रिज़र्व शामिल होंगे। अभिव्यक्ति 'आरक्षित' में मूल्यह्रास, नवीनीकरण या संपत्ति के मूल्य में कमी के लिए या किसी ज्ञात देयता के लिए प्रदान करने के माध्यम से रखी गई किसी भी राशि को शामिल नहीं किया जाएगा। निवेश रिज़र्व खाता और निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व इस शीर्ष के तहत दिखाया जाएगा।
		(V)	लाभ और हानि खाते का अधिशेष	विनियोग के बाद लाभ का संतुलन शामिल है। हानि के मामले में शेष राशि को कटौती के रूप में दिखाया जाएगा। *<u>नोट्स - सामान्य:</u>* विभिन्न श्रेणियों के रिज़र्व में संचलनों को अनुसूची में संकेत के अनुसार दिखाया जाएगा।
निक्षेप	3	ए.I)	मांग निक्षेप	
		(i)	बैंकों से	मांग पर चुकाने योग्य सभी बैंक जमा शामिल हैं।

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
		(ii)	अन्यों से	गैर-बैंक क्षेत्रों के सभी मांग जमा शामिल हैं। ओवरड्राफ्ट में क्रेडिट शेष, कैश क्रेडिट खातों, कॉल पर देय जमा, अतिदेय जमा, निष्क्रिय चालू खाते, परिपक्व समय जमा, नकद प्रमाण पत्र और जमा के प्रमाण पत्र आदि इस श्रेणी के तहत शामिल किए जाएंगे।
		(II)	बचत बैंक निक्षेप	सभी बचत बैंक जमा शामिल हैं (निष्क्रिय बचत बैंक खातों सहित)
		(III)	सावधि निक्षेप	
		(i)	बैंकों से	
		(ii)	अन्यों से	
		बी.i)	भारत में शाखाओं के निक्षेप	इन दोनों मदों का योग तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल जमाराशियों से मेल खाना चाहिए।
		ii)	भारत से बाहर शाखाओं के निक्षेप	*<u>नोट - सामान्य:</u>* 1. जमाराशियों पर देय ब्याज जो उपार्जित है लेकिन देय नहीं है उसे शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि अन्य देनदारियों के तहत दिखाया जाएगा। 2. बैंक से जमा में भारत में बैंकिंग प्रणाली, सहकारी बैंकों और विदेशी बैंकों से जमा शामिल होंगे, जिनकी भारत में उपस्थिति हो भी सकती है और नहीं भी। 3. बैंक इस अनुसूची के फुट नोट के माध्यम से, कुल जमा में से जिस राशि के लिए ग्रहणाधिकार चिह्नित किया गया है, उसका प्रकटीकरण करेगा। (वर्तमान और पिछले वर्ष के लिए)

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
उधार	4	(I)	भारत में उधार	
		(i)	भारतीय रिज़र्व बैंक	इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त रेपो, अन्य उधार या पुनर्वित्त शामिल है।
		(ii)	अन्य बैंक	इसमें रेपो, बैंकों से प्राप्त अन्य उधार या पुनर्वित्त (सहकारी बैंकों सहित) और रेपो खाते में शेष शामिल हैं।
		(iii)	अन्य संस्थान व अभिकरण	इसमें भारतीय निर्यात-आयात बैंक, नाबार्ड और अन्य संस्थानों, एजेंसियों (भागीदारी प्रमाणपत्रों के लिए देयता सहित-जोखिम साझा किए बिना, यदि कोई हो) से प्राप्त उधार/पुनर्वित्त और रेपो खाते में शेष शामिल हैं।
		(II)	भारत के बाहर उधार	इसमें भारत के बाहर से उधार लेना शामिल है।
			ऊपर में में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	यह मद अलग से दिखाई जाएगी। भारत और भारत के बाहर सुरक्षित उधार / पुनर्वित्त शामिल है।
				<u>नोट्स - सामान्य:</u> 1. I और II के कुल को तुलन पत्रमें दिखाए गए कुल उधार से मेल खाना चाहिए। 2. अंतर-कार्यालय लेनदेन को उधार के रूप में नहीं दिखाया जाएगा। 3. बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक और विभिन्न संस्थानों से प्राप्त पुनर्वित्त को 'उधार' शीर्ष के तहत दिखाया जाएगा। तदनुसार, अग्रिमों को परिसंपत्ति पक्ष पर सकल राशि पर दिखाया जाएगा। 4. निम्नलिखित को यहां शामिल किया जाएगा:

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
				ए) शाश्वत ऋण लिखत बी) टियर 2 पूंजी लिखत सी) अधीनस्थ ऋण।
अन्य देंनदारियों तथा प्रावधान	5	(I)	सदेय बिल	इसमें ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ट्रैवलर्स चेक, देय मेल ट्रांसफर, पे स्लिप, बैंकर्स चेक और अन्य विविध मद शामिल हैं।
		(II)	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	अंतर-कार्यालय समायोजन शेष, यदि क्रेडिट में है, इस शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाएगा। बैंक को पहले अंतर-शाखा खाते में 5 वर्षों से अधिक के लिए बकाया क्रेडिट प्रविष्टियों को अलग करना चाहिए और उन्हें एक अलग अवरुद्ध खाते में स्थानांतरित किया जाए जिसे 'अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य' के तहत दिखाया जाए। यहां शामिल करने के लिए अंतर-शाखा लेनदेन की शुद्ध राशि, या अनुसूची 11, जैसा भी मामला हो, की गणना करते समय, अवरुद्ध खाते की कुल राशि को बाहर रखा जाना चाहिए और केवल शेष क्रेडिट प्रविष्टियों को दर्शानेवाली राशि को डेबिट प्रविष्टियों के विरुद्ध नेट किया जाए। अंतर-कार्यालय खातों की केवल शुद्ध स्थिति, अंतर्देशीय और साथ ही विदेशी, यहां दिखाई जाएगी।
		(III)	अर्जित ब्याज	इसमें अर्जित ब्याज शामिल है लेकिन जमा और उधार पर देय नहीं है।
		(IV)	अन्य (प्रावधान सहित)	आयकर और अन्य करों जैसे ब्याज कर (कम अग्रिम भुगतान, स्रोत पर कर कटौती, आदि), आस्थगित कर (यदि नेटिंग के बाद एएस-22 के अनुसार देयता है), अस्थायी प्रावधान, आकस्मिक निधि जो कि रिज़र्व के रूप में दर्शाई नही गई हैं,

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
				लेकिन वास्तव में रिज़र्व की प्रकृति में हैं, अन्य देनदारियां जो किसी भी प्रमुख शीर्ष के तहत प्रकट नहीं की जाती हैं जैसे दावा न किए गए लाभांश, प्रावधान और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए रखी गई धनराशि, असमाप्त छूट, बकाया शुल्क जैसे किराया, वाहन, आदि के लिए शुद्ध प्रावधान शामिल हैं। जमाराशियों के प्रकार जैसे कर्मचारी सुरक्षा जमा, मार्जिन जमा, आदि, जहां चुकौती मुफ्त नहीं है, को भी इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। एक अलग ब्लॉक किए गए खाते में अंतरित समाशोधन अंतर में सकल शुद्ध क्रेडिट को यहां दिखाया जाएगा। ब्लॉक खाते में स्थानांतरित किए गए नोस्ट्रो खातों में बकाया क्रेडिट प्रविष्टियां भी यहां दिखाई जाएंगी। **नोट - सामान्य**: 1. अंतर-कार्यालय समायोजन के निवल शेष की गणना करने के लिए सभी संबद्ध अंतर-कार्यालय खातों को एकत्र किया जाएगा और केवल शुद्ध शेष को दिखाया जाएगा, जो पारगमन और असमायोजित मदों में अधिकतर मदों को दर्शाता हो। 2. सभी जमाराशियों पर उपार्जित ब्याज, चाहे भुगतान देय हो या नहीं, को देयता के रूप में माना जाएगा। 3. यह केवल जमाराशियों को शीर्ष 'जमा 'के तहत दिखाने का प्रस्ताव है और इसलिए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आकस्मिक निधियों आदि के लिए सभी अधिशेष प्रावधान, जो संबंधित परिसंपत्तियों के खिलाफ निवल नहीं किए गए हैं, उन्हें '"अन्य *(*प्रावधानों सहित*)"* शीर्ष के तहत लाया जाएगा। *4.* मानक आस्तियों के लिए प्रावधान सकल अग्रिमों से नहीं घटाए जाएंगे और तुलन पत्र की अनुसूची *5* में 'अन्य 'के तहत

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
				'मानक परिसंपत्तियों के खिलाफ प्रावधान 'के रूप में अलग से दिखाए जाएंगे। 5. जहां कहीं भी "अन्य (प्रावधानों सहित)" के अंतर्गत कोई मद कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक हो, खातों की टिप्पणियों में ऐसी सभी मदों का विवरण प्रकट किया जाएगा।
आस्तियां				
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष	6	(I)	हाथ नकदी (इसमे विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)	इसमें विदेशी मुद्रा नोटों सहित हाथ में नकदी शामिल है।
		(II)	भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष (i) चालू खातों में (ii) अन्य खातों में	रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा सहित सभी प्रकार के रिवर्स रेपो उप-मद (ii) 'अन्य खातों में' के तहत प्रस्तुत किए जाएंगे।
बैंकों के साथ शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	(I) (i) (ए) (बी)	भारत में बैंकों में अतिशेष चालू खातों में अन्य जमा खातों में	जैसा कि नीचे बताया गया है, मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि को छोड़कर, भारत में बैंकों के साथ सभी शेष राशि (सहकारी बैंकों सहित) को शामिल करता है । चालू खाते और अन्य जमा खातों में शेष राशि अलग से दिखाई जाएगी।
		(ii) (ए)	मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि बैंकों के पास अन्य संस्थानों में	निम्नलिखित समाविष्ट जिनकी मूल अवधि 14 दिनों तक है और जिसमें 14 वां दिन शामिल हैं: (i) मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में उधार दिया गया धन (ii) बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ रिवर्स रेपो

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
		(बी)		रिवर्स रेपो खाते में शेष राशि को अनुसूची 7 के तहत मद । (ii) ए या । (ii) बी के तहत उपयुक्त के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
		(II)	भारत के बाहर	बैंक की भारतीय शाखाओं द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं के साथ रखे गए शेष इस शीर्ष के अंतर्गत दिखाए जाएंगे।
		(i)	चालू खातों में	'चालू खाते' और 'जमा खाते' में रखी गई राशि अलग-अलग दिखाई जाएगी।
		(ii)	अन्य जमा खातों में	
		(iii)	मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	भारत के बाहर ' मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि ' में आमतौर पर उस विदेशी क्षेत्राधिकार के कानूनों, विनियमों, या बाजार प्रथाओं, जहां मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि जहां ऐसा पैसा उधार दिया जाता है के अनुसार वर्गीकृत जमा राशि शामिल होती है ।
विनिधान	8	(I)	भारत में विनिधान	
		(i)	सरकारी प्रतिभूतियां	केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और सरकारी खजाना बिल शामिल हैं।
		(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य प्रतिभूतियां, जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (ए) के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा 'अनुमोदित प्रतिभूतियों' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, को यहां शामिल किया जाएगा।
		(iii)	शेयर	मद (ii) में शामिल नहीं की गई कंपनियों और निगमों के शेयरों में निवेश को यहां शामिल किया जाएगा।

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
		(iv)	डिबेंचर और बध पत्र	मद (ii) में शामिल नहीं किए गए कंपनियों और निगमों के डिबेंचर (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा परिभाषित किया गया है) और बांड में निवेश को यहां शामिल किया जाएगा।
		(v)	अनुषंगियों और/अथवा सह उद्यम	संयुक्त उद्यमों (सहायक कंपनियों सहित) में निवेश को यहां शामिल किया जाएगा।
		(vi)	अन्य	अवशिष्ट निवेश, यदि कोई हो, जैसे म्युचुअल फंड, सोना, आदि।
		(II)	भारत के बाहर निवेश	
		(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकारी सम्मिलित हैं)	स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रतिभूतियों सहित सभी विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों को इस शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।
		(ii)	विदेश में अनुषंगियों और / अथवा उद्यम	भारत से बाहर और/अथवा विदेश में संयुक्त उद्यमों की सहायक कंपनियों की शेयर पूंजी में किए गए सभी निवेशों को इस शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।
		(iii)	अन्य विनिधान	भारत के बाहर अन्य सभी निवेश इस शीर्ष के अंतर्गत दिखाए जाएंगे।
अग्रिम	9	ए.(i)	क्रय किए गए और मिती काटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र	समय-समय पर संशोधित लाइसेंसिंग शर्तों और भुगतान बैंकों के लिए मौजूदा परिचालन दिशानिर्देशों के संदर्भ में बैंक के अपने कर्मचारियों को दिए गए सभी ब्याज-धारक ऋण और अग्रिम यहां शामिल किए जाएंगे। भुगतान बैंकों के लिए समय-समय पर संशोधित लाइसेंसिंग शर्तों और मौजूदा परिचालन दिशानिर्देशों के संदर्भ में बैंक के

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
				अपने कर्मचारियों को दिए गए सभी ऋण, मांग पर चुकाए जाने वाले और एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले अल्पकालिक ऋण 'नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण' के तहत वर्गीकृत किए जाएंगे।
		(ii)	रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रति सदेय उधार	'सावधि ऋण' एक ऋण है जिसकी एक विनिर्दिष्ट परिपक्वता है और किश्तों में या बुलेट फॉर्म में देय है। एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाले सभी सावधि ऋणों को इस श्रेणी (अर्थात, ए (**iii)**) के तहत वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले अल्पकालिक ऋणों को मांग पर चुकाए जाने वाले ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
		(iii)	सावधि उधार	
		बी.(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	सभी अग्रिम या अग्रिम का हिस्सा जो मूर्त आस्ति द्वारा प्रतिभूत है, यहां दिखाया जाएगा।
		(ii)	बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा सूरक्षित	-
		(iii)	अप्रतिभूत	'ए' का योग 'बी' के योग से मेल खाना चाहिए।
		सी. **(I)** (i)	**भारत में अग्रिम**	*टिप्पणियाँ:* समय-समय पर संशोधित लाइसेंसिंग शर्तों और भुगतान बैंकों के लिए मौजूदा परिचालन दिशानिर्देशों के संदर्भ में बैंक के

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
		(ii) (iii) (iv) **(II)** (i) (ii) (iii) (iv) (v)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र सरकारी क्षेत्र बैंक अन्य **भारत के बाहर अग्रिम** बैंकों से शोध्य अन्यों से शोध्य क्रय किए गए और मिती काटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र सिंडिकेटेड ऋण अन्य	अपने कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम के लिए सामान्य अनुदेश इस प्रकार हैं: *1.* उधार की सूचना उस पर किए गए प्रावधानों के निवल रूप में दी जाएगी (मानक आस्तियों के लिए प्रावधानों के अलावा)। जहां तक फ्लोटिंग प्रावधानों को टियर *2* पूंजी के रूप में नहीं माना गया है, उन्हें अग्रिमों से भी नेट किया जाएगा। *2.* रिपोर्ट किए गए सावधि ऋणों में मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण शामिल नहीं होंगे। *3.* उपार्जित लेकिन देय नहीं ब्याज को यहां प्रतिबिंबित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, इसे अन्य आस्तियों में 'उपार्जित ब्याज' के तहत दिखाया जाएगा। 4. *14* दिनों से अधिक की मूल अवधि वाले बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ रिवर्स रेपो को निम्नलिखित शीर्षक के तहत इस अनुसूची के तहत दिखाया जाएगा: *i.* ए.(*ii)* 'नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण' *ii.* बी. (*i)* 'ठोस आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' iii. सी. (*I) (iii)* बैंक (*iv)* 'अन्य' (जैसा मामला हो)
स्थिर आस्तियां	10	(I) (i)	परिसर पूर्ववर्तीय वर्ष की 31 मार्च के अनुसार लागत	आवासीय परिसर सहित व्यवसाय के प्रयोजन के लिए बैंक के पूर्ण या आंशिक स्वामित्व वाली भूमि सहित परिसर को 'परिसर' के आगे दर्शाया जाएगा।

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
		(ii) (iii) (iv)	वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौती आज तक मूल्यह्रास	परिसर और अन्य अचल संपत्तियों के मामले में, पिछले शेष, उसमें वृद्धि और वर्ष के दौरान उसमें से कटौती के साथ-साथ कुल मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला जाएगा।
		(II) (i) (ii) (iii) (iv)	अन्य स्थिर आस्तियां (इसमे फर्निचर और फिक्चर सम्मिलित हैं) पिछले वर्ष के 31 मार्च के लागत पर वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौती आज तक मूल्यह्रास	फर्नीचर और फिक्स्चर, वाहन और अन्य सभी अचल संपत्तियों को इस शीर्ष के तहत दिखाया जाएगा।
अन्य आस्तियां	11	(I)	अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	अंतर-कार्यालय समायोजन शेष, यदि नामे में है तो इस शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाएगा। अंतर-कार्यालय खातों की केवल शुद्ध स्थिति, अंतर्देशीय और साथ ही विदेशी स्थिति, यहां दिखाई जाएगी। अंतर-कार्यालय समायोजन खातों के निवल शेष की गणना करने के लिए, सभी संबद्ध अंतर-कार्यालय खातों को एकत्र किया जाएगा और निवल शेष, यदि केवल नामे में है, पारगमन और असमायोजित मदों में अधिकतर मदों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया जाएगा।

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
				जहां कहीं भी अनुसूची "अन्य" के अंतर्गत कोई मद कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक हो, खातों की टिप्पणियों में ऐसी सभी मदों का विवरण प्रकट किया जाएगा।
		(II)	अर्जित ब्याज	अर्जित ब्याज लेकिन जो निवेश और अग्रिमों पर देय नहीं है और देय ब्याज लेकिन जो निवेश पर वसूली नहीं किया गया, इस मद के मुख्य घटक होंगे। चूंकि बैंक आम तौर पर तुलन पत्र की तारीख पर देय ब्याज के साथ उधारकर्ताओं के खाते से डेबिट करते हैं, आमतौर पर अग्रिमों पर ब्याज की कोई राशि नहीं होगी। इस शीर्ष के तहत केवल वही ब्याज दिखाया जाएगा जो सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्त किया जा सकता है।
		(III)	अग्रिम रूप से सदेत/स्त्रोत पर कर कटौती	भुगतान किए गए अग्रिम कर की राशि, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), आदि जब तक इस सीमा तक कि इन मदों को संबंधित कर प्रावधानों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाता है, उन्हें इस मद के सामने दिखाया जाएगा।
		(IV)	लेखन सामाग्री और स्टैंप	स्टेशनरी पर व्यय की केवल अपवादात्मक मदें जैसे सुरक्षा कागज, लूज लीफ या अन्य लेज़रों की थोक खरीद आदि, जिन्हें एक समयावधि में बट्टे खाते में डालने वाली अर्ध-परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाता है, उन्हें यहां दर्शाया जाएगा। मूल्य वास्तविक आधार पर होगा और लागत वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये आइटम आंतरिक उपयोग के लिए हैं।
		(V)	दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई बैंककारी आस्तियां	दावों की संतुष्टि में अर्जित अचल संपत्तियों/मूर्त संपत्तियों को इस शीर्ष के तहत दिखाया जाना है।
		(VI)	अन्य	इसमें दावों जैसी मदे जो पूरी नहीं हुई हैं शामिल होंगी, उदाहरण के लिए, समाशोधन मदें, संपत्ति में वृद्धि को दर्शाने वाली डेबिट मदें या देनदारियों में कमी जिन्हें तकनीकी कारणों

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
				से समायोजित नहीं किया गया है, विवरण की कमी आदि। ब्याज के अलावा अन्य अर्जित आय को भी यहां शामिल किया जाए। बैंक के कर्मचारियों को दिए गए सभी गैर-ब्याज वाले ऋणों और अग्रिमों की सूचना यहां दी जाएगी। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के पास नकद मार्जिन जमा को यहां दिखाया जाएगा। जहां 'अन्य' के तहत कोई भी मद कुल आस्ति के एक प्रतिशत से अधिक है, वहां ऐसे सभी वस्तुओं का विवरण खातों के नोटों में प्रकट किया जाएगा।
समाश्रित देयताएं	12	(I)	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हे ऋण के रुप में स्वीकार नही किया गया हैं।	--
		(II)	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता	आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों, डिबेंचर आदि पर देयता इस शीर्ष में शामिल की जाएगी।
		(III)	बकाया वायदा विनिमय अनुबंधों के कारण देयता	बकाया वायदा विनिमय अनुबंध यहां शामिल किए जाएंगे।
		(IV)	संघटको की ओर से दी गई प्रतिभूतिया	-
		(i)	भारत में	
		(ii)	भारत के बाहर	

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
		(V)	प्रति-ग्रहण पृष्टकन और अन्य बाध्यताएँ	-
		(VI)	अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है	संचयी लाभांशों की बकाया राशि, बिलों का पुनर्वितरण, हामीदारी अनुबंधों की प्रतिबद्धताएं, और पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं की गई आदि को यहां शामिल किया जाना है। सभी दावा रहित देयताएँ (जहां देय राशि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना 2014 के तहत स्थापित जमाकर्ताओं की शिक्षा और जागरूकता निधि में स्थानांतरित कर दी गई है) यहां दिखाई जाएंगी। जब जारी किया जाता है ('डब्ल्यूआई') प्रतिभूतियों को प्रतिभूति जारी होने तक तुलन पत्रेतर मद के रूप में पुस्तकों में दर्ज किया जाना चाहिए। 'डब्ल्यूआई' बाजार में तुलन पत्रेतर नेट पोजीशन को दैनिक आधार पर 'डब्ल्यूआई' प्रतिभूति के दिन के समापन मूल्य पर स्क्रिप-वाइज चिह्नित किया जाना चाहिए। यदि 'डब्ल्यूआई' प्रतिभूति की कीमत उपलब्ध नहीं है, तो इसके बजाय मौजूदा नियमों के अनुसार निर्धारित अंतर्निहित प्रतिभूति के मूल्य का उपयोग किया जा सकता है। यदि कोई मूल्यह्रास है, तो उसका प्रावधान किया जाना चाहिए और यदि कोई मूल्यवृद्धि है, तो उसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। वितरण पर, अंतर्निहित प्रतिभूति को तीन श्रेणियों में से किसी में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात; 'परिपक्वता के लिए रखा गया', 'बिक्री के लिए उपलब्ध', या 'एफवीटीपीएल', संविदात्मक नकदी प्रवाह की प्रकृति और अनुबंध मूल्य पर रखने के इरादे के आधार पर।

मद	अनु		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
वसूली के लिए बिल	--		--	बिल और अन्य मदें जो वसूली के मार्ग में है और समायोजित नहीं की गई है उन्हें इस मद में केवल सारांश रुप में दिखाया जाएगा। अलग से कोई अनुसूची प्रस्तावित नहीं है।

(2) लाभ और हानि खाते के संकलन के लिए निदेश

मद	अनु.		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
अर्जित ब्याज	13	(I)	ब्याज/ अग्रिमो / विनिमयों पात्रो पर ब्याज / मितीकाटा	इसमें बैंक के अपने फंड से कर्मचारियों को दिए गए सभी तरह के लोन पर मिलने वाला ब्याज और डिस्काउंट शामिल है, जैसा कि पेमेंट बैंकों के लिए लाइसेंस की शर्तों और मौजूदा ऑपरेटिंग गाइडलाइंस में बताया गया है।
		(II)	विनिधानों पर आय	परिसमाप्तितक धारित श्रेणी की प्रतिभूतियों पर, तथा बेचने हेतु उपलब्ध और लाभ या हानि में यथार्थ मूल्य (श्रेणी की ऋण प्रतिभूतियों पर (जहाँ अनुबंधानुसार होने वाला नकदी प्रवाह "केवल मूलधन एवं ब्याज का भुगतान" के मानदंड को पूरा करता हो), प्राप्त छूट अथवा अतिरिक्त मूल्य, प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि में क्रमशः विलेखित किया जाएगा। इस प्रकार विलेखित की गई राशि वित्तीय विवरणों में अनुसूची 13 'अर्जित ब्याज' के मद क्रम संख्या II 'निवेशों से आय' के अंतर्गत दर्शाई जाएगी, और इसका विपरीत पंजीकरण अनुसूची 8 'निवेश' में किया जाएगा।
		(III)	भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज	इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों के साथ शेष राशि पर ब्याज, कॉल ऋण, मुद्रा बाजार प्लेसमेंट आदि शामिल हैं।

मद	अनु.		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
		(IV)	अन्य	इसमें अन्य कोई ब्याज/छूट आय शामिल है जो उपरोक्त शीर्षों में शामिल नहीं है।
				नोट : सामान्य रिवर्स रेपो ब्याज आय खाते में शेष राशि को अनुसूची 13 (मद III या IV के तहत यथा उचित) के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।
अन्य आय	14	(I)	कमिशन, विनिमय और दलाली	इसमें वसूली पर कम्मीशन, प्रेषण और हस्तांतरण पर कम्मीशन/एक्सचेंज, क्रेडिट और बैंक गारंटी के पत्रों पर कम्मीशन, लॉकर को किराए पर देना, सरकारी व्यवसाय पर कम्मीशन, परामर्श और अन्य सेवाओं सहित अन्य अनुमत एजेंसी व्यवसाय पर कम्मीशन, प्रतिभूतियों पर दलाली, आदि जैसी सेवाओं पर सभी पारिश्रमिक शामिल है। इसमें विदेशी मुद्रा से आय शामिल नहीं होता। जहां कहीं भी अनुसूची " कमिशन, विनिमय और दलाली " के तहत कोई मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक हो, भुगतान बैंकों द्वारा ऐसे सभी मदों के विवरणों का प्रकटीकरण खातों के नोट में किया जाएगा।
		(II) (III) (IV)	विनिधानों के विक्रय पर लाभ *कम करें:* निवेश पर विक्रय पर हानि विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ *कम करें:* विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	इसमें प्रतिभूतियों, फर्नीचर, भूमि और भवन, मोटर वाहन, सोना, चांदी, आदि की बिक्री पर लाभ / हानि शामिल है। केवल निवल स्थिति दिखाई जाएगी। यदि निवल स्थिति हानि है, तो राशि को कटौती के रूप में दिखाया जाएगा। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के साथ-साथ मूल्यह्रास के प्रावधान (या अधिक मूल्यह्रास का उलट) पर निवल लाभ/हानि भी इस मद के तहत दिखाया जाएगा। गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) का प्रावधान यहां दिखाने के बजाय प्रावधानों और आकस्मिकताओं के तहत दर्शाया जाएगा।

मद	अनु.		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
			भूमि, भवनो और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ *कम करें:* भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की विक्रय पर हानि	
		(V)	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ घट: विनिमय संव्यवहारों पर हानि	विदेशी मुद्रा में लेनदेन पर लाभ/हानि, विदेशी मुद्रा के माध्यम से अर्जित सभी आय और ब्याज को छोड़कर जो ब्याज शीर्ष के तहत दर्शाया जाएगा, विदेशी मुद्रा लेनदेन पर कम्मीशन और प्रभार। केवल निवल स्थिति दिखाई जाएगी। यदि निवल स्थिति एक हानि है, तो इसे कटौती के रूप में दिखाया जाना है।
		(VI)	विदेश/भारत में स्थापित समनुषंगियों /कंपनियों और/या सह उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	
		(VII)	प्रकिर्ण आय	इसमें घटकों से गोदाम के किराए के लिए वसूली, बैंक की संपत्तियों से आय, प्रतिभूति शुल्क, बीमा आदि और अन्य किसी भी विविध आय शामिल है। यदि इस शीर्ष के अंतर्गत कोई मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है, तो विवरण टिप्पणियों में दिया जाएगा।
व्यय किया गया ब्याज	15	(I)	निक्षेपों पर ब्याज	इसमें बैंकों और अन्य संस्थानों से जमा राशि सहित सभी प्रकार की जमाराशियों पर दिया गया ब्याज शामिल है।
		(II)	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधारो पर ब्याज	इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों से सभी उधार और पुनर्वित्त पर छूट/ब्याज शामिल है।

मद	अनु.		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
		(III)	अन्य	इसमें वित्तीय संस्थानों से सभी उधारों/पुनर्वित्त पर छूट/ब्याज शामिल है। भागीदारी प्रमाण पत्र पर ब्याज, भुगतान किया गया दंडात्मक ब्याज आदि जैसे अन्य सभी भुगतान यहां शामिल किए जाएंगे। नोट : सामान्य 1. रेपो ब्याज व्यय खाते में शेष राशि को अनुसूची 15 (मद II या III के तहत यथा उचित) के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। 2. सरकारी और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों को प्राप्त करते समय, बैंकों को निवेश की लागत के हिस्से के रूप में विक्रेता को भुगतान की गई खंडित अवधि के ब्याज को पूंजीकृत नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे एक व्यय के रूप में बुक करना चाहिए।
परिचालन व्यय	16	(I)	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए व्यवस्था	कर्मचारियों के वेतन / मजदूरी, भत्ते, बोनस, अन्य कर्मचारी लाभ जैसे भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, कर्मचारियों के लिए पोशाक, छुट्टी किराया रियायतें, कर्मचारी कल्याण, कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता आदि शामिल हैं।
		(II)	भाटक, कर और लाइटिंग	इमारतों पर बैंकों द्वारा भुगतान किया गया किराया, नगरपालिका और भुगतान किए गए अन्य करों (आयकर और ब्याज कर को छोड़कर), बिजली और अन्य समान शुल्क और लेवी शामिल है। कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और इसी तरह के अन्य भुगतान 'कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान' शीर्ष के तहत दिखाई देंगे।
		(III)	मुद्रण और लेखन सामग्री	इसमें बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली किताबें और फॉर्म और स्टेशनरी आइटम और अन्य मुद्रण शुल्क शामिल हैं जो प्रचार व्यय के माध्यम से खर्च नहीं किए जाते हैं।

मद	अनु.		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
		(IV)	विज्ञापन और प्रचार	प्रचार सामग्री के मुद्रण शुल्क सहित विज्ञापन और प्रचार उद्देश्यों के लिए बैंक द्वारा किया गया व्यय शामिल है।
		(V)	बैंक की संपत्ति का मूल्यह्रास	इसमें बैंक की अपनी संपत्ति, कारों और अन्य वाहनों, फर्नीचर, बिजली की फिटिंग, वॉल्ट, लिफ्ट, लीजहोल्ड संपत्ति, गैर-बैंकिंग संपत्ति आदि पर मूल्यह्रास शामिल है।
		(VI)	निदेशक की फीस, भत्ते और व्यय	सिट्टिंग शुल्क, भत्ते और निदेशकों की ओर से किए गए अन्य सभी खर्च शामिल हैं। दैनिक भत्ता, होटल शुल्क, वाहन शुल्क, आदि जो हालांकि खर्च किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के रूप में इस शीर्ष के तहत शामिल किए जाएंगे। स्थानीय बोर्ड के सदस्यों, बोर्ड की समितियों आदि के समान व्यय को भी इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
		(VII)	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं)	इसमें सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान की गई फीस और उनके कर्तव्यों के पालन के लिए आनेवाले सभी खर्च शामिल हैं, भले ही वे खर्चों की प्रतिपूर्ति की प्रकृति के हों। यदि बैंक ने स्वयं आंतरिक निरीक्षणों और लेखा परीक्षा तथा अन्य सेवाओं के लिए बाह्य लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है तो उस संदर्भ में किए गए व्ययों को, शुल्क सहित, इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाना चाहिए बल्कि 'अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।
		(VIII)	विधि प्रभार	सभी कानूनी खर्च और कानूनी सेवाओं के संबंध में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति यहां शामिल की जाएगी।
		(IX)	डाक, महसूल, तार और टेलीफोन, आदि.	सभी डाक शुल्क जैसे स्टैम्प, टेलीफोन आदि शामिल हैं।
		(X)	मरम्मत और अनुरक्षण	बैंक की संपत्ति की मरम्मत, उनके रखरखाव शुल्क आदि शामिल हैं।

मद	अनु.		कवरेज	संकलन के लिए टिप्पणी और अनुदेश
		(XI)	बीमा	इसमें बैंक की संपत्ति पर बीमा शुल्क, डीआईसीजीसी को भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम आदि शामिल हैं, जिस सीमा तक वे संबंधित पक्षों से वसूल नहीं किए जाते हैं।
		(XII)	अन्य व्यय	लाइसेंस शुल्क, दान, कागजात की सदस्यता, पत्रिकाएं, मनोरंजन व्यय, यात्रा व्यय इत्यादि जैसे किसी भी अन्य शीर्ष में शामिल नहीं होने के अलावा अन्य सभी खर्च इस शीर्ष के तहत शामिल किए जाएंगे। यदि इस शीर्ष के अंतर्गत कोई विशेष मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है, तो विवरण नोटों में दिया जाएगा।
प्रावधान और आकस्मिकताएं				अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए सभी प्रावधान, कराधान के प्रावधान, गैर-निष्पादित निवेश के प्रावधान, आकस्मिकताओं के लिए स्थानांतरण और अन्य समान मदों को शामिल करता है।

सी. कुछ लेखांकन मानकों के संबंध में विशिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन

6. बैंक के लिए कुछ लेखा मानकों के अनुप्रयोग में प्रासंगिक मुद्दों के संबंध में एक बैंक को निम्नलिखित द्वारा भी निर्देशित किया जाएगा:

(1) लेखांकन मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

(i) इस मानक का उद्देश्य लाभ और हानि के विवरण में कुछ वस्तुओं के वर्गीकरण और प्रकटीकरण को निर्धारित करना है ताकि सभी उद्यम एक समान आधार पर ऐसा विवरण तैयार और प्रस्तुत करें।

(ii) तदनुसार, इस मानक में असाधारण और पूर्व अवधि की वस्तुओं का वर्गीकरण और प्रकटीकरण, और सामान्य गतिविधियों से लाभ या हानि के भीतर कुछ वस्तुओं का प्रकटीकरण आवश्यक है। यह लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के लिए लेखांकन उपाय और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के संबंध में वित्तीय विवरणों में किए जाने वाले प्रकटीकरण को भी विनिर्दिष्ट करता है।

(iii) आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों पर वक्तव्यों की प्रस्तावना के पैराग्राफ 4.3 में कहा गया है कि लेखांकन मानकों का उद्देश्य केवल उन मदों पर लागू करना है जो महत्वपूर्ण हैं। चूँकि महत्वपूर्णता को वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि सभी बैंकों को किसी भी पूर्व अवधि की आय या पूर्व अवधि के व्यय की मद के संबंध में लेखांकन मानक के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए जो बैंक की कुल आय/कुल व्यय का एक प्रतिशत से अधिक है यदि आय/व्यय की गणना सकल आधार पर की जाती है या करों से पहले निवल लाभ या निवल नुकसान का एक प्रतिशत, जैसा भी मामला हो यदि लागत के बाद आय की गणना की जाती है।

(iv) चूंकि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत फॉर्म बी में निर्धारित बैंक के लाभ और हानि खातों के प्रारूप में वर्तमान वर्ष के लाभ और हानि पर पूर्व अवधि की वस्तुओं के प्रभाव के प्रकटीकरण के लिए विशेष रूप से प्रावधान नहीं है, ऐसे प्रकटीकरण, जहां भी आवश्यक हो, बैंक की तुलन पत्र के लेखा संबंधी टिप्पणियां' में किया जा सकता है।

(2) लेखांकन मानक 9 - राजस्व मान्यता

(3) गैर-निष्पादित अग्रिमों और गैर-निष्पादित निवेशों के मामले में बैंकों द्वारा आय की गैर-मान्यता, भारतीय रिज़र्व बैंक के नियामक निर्देशों के अनुपालन में, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा योग्यता को आकर्षित नहीं करेगा क्योंकि यह मानक के प्रावधान के अनुरूप होगा, क्योंकि यह राजस्व की मान्यता के स्थगन को मान्यता देता है जहां राजस्व की संग्रहणीयता काफी अनिश्चित है।**लेखांकन मानक 11 - विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव**

एएस 11 को विदेशी मुद्राओं में लेनदेन के लेखांकन के संदर्भ में लागू किया जाता है। इस संदर्भ में उत्पन्न होने वाले मुद्दों की पहचान की गई है और मानक के प्रावधानों का अनुपालन करते समय बैंक को निम्नलिखित द्वारा निर्देशित किया जाएगा:

(i) विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए विनिमय दर

(ए) मानक के पैराग्राफ 9 और 21 के अनुसार, एक विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर, लेनदेन की तारीख पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को लागू करके, विदेशी मुद्रा राशि पर रिकॉर्ड किया जाएगा। बैंक को उन मदों के संबंध में लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर को लागू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है जो भारतीय

रुपये में दर्ज नहीं की जा रही हैं या वर्तमान में एक काल्पनिक विनिमय दर का उपयोग करके दर्ज की जा रही हैं।

(बी) बैंक, जो एएस 11 के तहत आवश्यक विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर को लागू करने की स्थिति में है, आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा। बैंक, जिसके पास व्यापक शाखा नेटवर्क है, विदेशी मुद्रा लेनदेन की उच्च मात्रा है, और प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है, उसे निम्नलिखित द्वारा निर्देशित किया जाएगा:

(i) मानक का पैराग्राफ 10, व्यावहारिक कारणों से, लेनदेन की तारीख पर वास्तविक दर के अनुमानित दर के उपयोग की अनुमति देता है। मानक यह भी बताता है कि यदि विनिमय दरों में काफी उतार-चढ़ाव होता है, तो एक अवधि के लिए औसत दर का उपयोग अविश्वसनीय है। चूंकि उद्यमों को लेनदेन की घटना की तारीख पर लेनदेन रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रासंगिक सप्ताह में होने वाले लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर का उपयोग किया जा सकता है, यदि यह लेनदेन की तारीख पर वास्तविक दर के अनुमान के बराबर है। लेन-देन की तारीखों पर विनिमय दरों को लागू करने में बैंक को होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए, और चूंकि मानक लेनदेन की तारीख पर वास्तविक दर के अनुमानित दर के उपयोग की अनुमति देता है, बैंक नीचे दिए गए औसत दरों का उपयोग कर सकता है:

(ii) एफ़ईडीएआई प्रत्येक सप्ताह के अंत में एक साप्ताहिक औसत समापन दर और प्रत्येक तिमाही के अंत में विभिन्न मुद्राओं के लिए एक त्रैमासिक औसत समापन दर प्रकाशित करता है।

(iii) उन विदेशी मुद्रा लेनदेन के संबंध में, जो वर्तमान में लेनदेन की तारीख पर भारतीय रुपये में दर्ज नहीं किए जा रहे हैं, या एक काल्पनिक विनिमय दर का उपयोग करके दर्ज किए जा रहे हैं, अब लेनदेन की तारीख पर एफ़ईडीएआई द्वारा प्रकाशित पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर का उपयोग करके दर्ज किया जाएगा, यदि लेनदेन की तारीख पर वास्तविक दर अनुमानित है।

(iv) यदि पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर लेनदेन की तारीख पर वास्तविक दर के करीब नहीं है, तो लेनदेन की तारीख पर समापन दर का उपयोग किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर को लेनदेन की तारीख

पर वास्तविक दर का अनुमान नहीं माना जाएगा यदि (ए) पिछले सप्ताह की साप्ताहिक औसत समापन दर और (बी) लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर के बीच का अंतर (बी) का तीन और आधा प्रतिशत से अधिक है।

(v) किसी बैंक को लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए खुद को सुसज्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता

(ii) समापन दर

(ए) मानक का पैराग्राफ 7 'समापन दर 'को बैलेंस शीट की तारीख में विनिमय दर के रूप में परिभाषित करता है।

(बी) बैंकों के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, प्रासंगिक लेखा अवधि के लिए एएस 11 (संशोधित 2003) के प्रयोजनों के लिए लागू होने वाली समापन दर उस लेखा अवधि के लिए एफईडीएआई द्वारा घोषित विनिमय की अंतिम क्लोजिंग स्पॉट दर होगी।

(4) लेखांकन मानदण्ड 17 – प्रखण्ड लेखांकन

'एएस 17 **–** प्रखण्ड लेखांकन' के तहत प्रकटीकरण के लिए सांकेतिक प्रारूप नीचे दिए गए हैं: -

प्रारूप

भाग अ – कारोबार संवर्ग

(करोड़ रु. में राशि)

व्यापार खंड →	कोषागार		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग व्यवसाय		कुल	
विवरण ↓	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
राजस्व								
परिणाम								
अनाबंटित व्यय								
परिचालन लाभ								
आय कर								
असाधारण लाभ/हानि								
निवल लाभ								

व्यापार खंड →	कोषागार		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग व्यवसाय		कुल	
विवरण ↓	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अन्य जानकारी:								
खंड की आस्ति								
अविभाजित आस्ति								
कुल आस्ति								
खंड देयताएँ								
अविभाजित देयताएँ								
कुल देयताएँ								

नोट (1): छायांकित भाग में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है

नोट (2):

*(*ए) व्यापार खंड 'ट्रेजरी', 'रिटेल बैंकिंग' और 'अन्य बैंकिंग संचालन' होंगे।

*(*बी*)* बैंक, उचित और सुसंगत आधार पर, खंडों के बीच व्यय के आवंटन के लिए अपनी स्वयं की विधियों को अपनाएगा।

*(*सी*)* 'ट्रेजरी' में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो शामिल होगा।

*(*डी*)* रिटेल बैंकिंग में ऐसे एक्सपोजर शामिल होंगे जो भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में निर्धारित खुदरा एक्सपोजर के लिए अभिविन्यास, उत्पाद, ग्रेन्युलैरिटी और कम मूल्य के चार मानदंडों को पूरा करते हैं। व्यक्तिगत आवास ऋण भी एएस-17 के तहत रिपोर्टिंग के उद्देश्य से खुदरा बैंकिंग खंड का हिस्सा होंगे।

*(*ई*)* अन्य बैंकिंग व्यवसाय में 'ट्रेजरी' और 'रिटेल बैंकिंग' खंडों के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए अन्य सभी बैंकिंग संचालन शामिल हैं। इसमें पैरा बैंकिंग लेनदेन/गतिविधियों जैसे अन्य सभी अवशिष्ट संचालन भी शामिल होंगे।

(एफ) उपर्युक्त खंडों के अलावा, एक बैंक 'अन्य बैंकिंग व्यवसाय' के भीतर अतिरिक्त खंडों की रिपोर्ट करेगा जो रिपोर्ट करने योग्य खंडों की पहचान के लिए एएस 17 में निर्धारित मात्रात्मक मानदंड को पूरा करते हैं।

(5) लेखांकन मानक 18 – सम्बद्ध पक्षकार अभिव्यक्ति

एएस 18 के पैराग्राफ 23 से 26 द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण का तरीका नीचे दर्शाया गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि नीचे दिया गया प्रारूप केवलउदाहरण स्वरूप है और यह संपूर्ण नहीं है।

(करोड़ रु. में राशि)

मद/संबंधित पार्टी	माता-पिता (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	एसोसिएट्स/ संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	मुख्य बंधन कर्मियों के रिश्तेदार	कुल
उधार#					
जमा#					
जमा का प्लेसमेंट #					
अग्रिम#					
निवेश#					
गैर-वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं #					
लीज़िंग/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाना #					
लीज़िंग/एचपी व्यवस्था प्रदान करना					
अचल आस्तियों की खरीद					
स्थिर आस्ति की बिक्री					
ब्याज का भुगतान					
प्राप्त ब्याज					
सेवाओं का प्रदान करना *					
सेवाओं की प्राप्ति *					
प्रबंधन अनुबंध*					

#वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम राशि का प्रकटीकरण किया जाना है

*अनुबंध सेवाएं आदि, और प्रेषण सुविधाओं, लॉकर सुविधाओं आदि जैसी सेवाएं नहीं।

नोट:

i) बैंक के लिए संबंधित पक्ष उसके मूल, सहयोगी/संयुक्त उद्यम, प्रमुख प्रबंधन कर्मी (केएमपी) और केएमपी के रिश्तेदार हैं। केएमपी पूर्णकालिक निदेशक हैं। केएमपी के रिश्तेदार आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45एस में दर्शाए गए अनुसार होंगे /

ii) संबंधित पार्टी संबंध का नाम और प्रकृति का प्रकटीकरण किया जाएगा, भले ही लेनदेन हुआ हो, जहां मानक के अर्थ के भीतर नियंत्रण मौजूद है। सामान्यतः मूल-सहायक संबंध के मामले में नियंत्रण मौजूद होगा। प्रकटीकरण उपरोक्त संबंधित पार्टी श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए कुल तक सीमित हो सकते हैं और वर्ष के अंत की स्थिति के साथ-साथ वर्ष के दौरान अधिकतम स्थिति से संबंधित होंगे।

iii) गोपनीयता प्रावधान: यदि उपरोक्त श्रेणी के संबंधित पक्षों में से किसी में केवल एक संबंधित पक्ष इकाई है, तो कोई भी प्रकटीकरण ग्राहक गोपनीयता के उल्लंघन के बराबर होगा। एएस 18 के संदर्भ में, प्रकटीकरण आवश्यकताएं उन परिस्थितियों में लागू नहीं होती हैं जब इस तरह के प्रकटीकरण प्रदान करने से गोपनीयता के उद्यम के कर्तव्यों का विरोध होता है, जैसा कि विशेष रूप से कानून, विनियामक या समान सक्षम प्राधिकारी के संदर्भ में आवश्यक है। इसके अलावा, यदि किसी उद्यम को नियंत्रित करने वाला कोई कानून या विनियामक उद्यम को कुछ जानकारी प्रकट करने से रोकता है, जिसे प्रकट करने की आवश्यकता है, तो ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण न करना लेखांकन मानकों के अनुपालन के रूप में नहीं माना जाएगा। ग्राहक विवरण की गोपनीयता बनाए रखने के बैंक के न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त सामान्य कानूनी कर्तव्य के कारण, इसे ऐसे प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त को देखते हुए, जहां लेखांकन मानकों के तहत संबंधित पक्ष के किसी भी श्रेणी के संबंध में समेकित प्रकटीकरण नहीं है, अर्थात, जहां संबंधित पक्ष की किसी भी श्रेणी में केवल एक इकाई है, तो बैंक को उस संबंधित पक्ष के साथ संबंध के अलावा उस संबंधित पक्ष से संबंधित कोई भी विवरण प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

(6) लेखांकन मानक 23 - समेकित वित्तीय विवरणो में निविशो हेतु लेखांकन

(i)यह लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) में, समूह की वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों पर सहयोगियों में निवेश के प्रभावों को पहचानने के लिए सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।

(ii)मानक की आवश्यकता है कि एक सहयोगी में निवेश को इक्विटी पद्धति के तहत सीएफएस में कुछ अपवादों के अधीन माना जाएगा।

(iii)'एसोसिएट' शब्द को एक ऐसे उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और जो निवेशक का सहायक या संयुक्त उद्यम नहीं होता है।

(iv)'महत्वपूर्ण प्रभाव' निवेशकर्ता के वित्तीय और / या परिचालन नीतिगत निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण नहीं है। ऐसा प्रभाव शेयर स्वामित्व, कानून या समझौते से प्राप्त किया जा सकता है।

(v)जहां तक शेयर स्वामित्व का संबंध है, यदि कोई निवेशक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से, निवेशित कंपनी की 20 प्रतिशत या उससे अधिक मतदान प्रभाव रखता है, तो यह माना जाता है कि निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव है, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सके कि ऐसा नहीं है। इसके विपरीत, यदि निवेशक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से, निवेशित की मतदान प्रभाव के 20 प्रतिशत से कम रखता है, तो यह माना जाता है कि निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, जब तक कि ऐसा प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। किसी अन्य निवेशक द्वारा पर्याप्त या बहुमत स्वामित्व आवश्यक रूप से किसी निवेशक को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने से नहीं रोकता है।

मुद्दा यह है कि क्या किसी बैंक द्वारा किसी उद्यम में ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप, जिसके द्वारा बैंक के पास 20 प्रतिशत से अधिक है, एएस 23 के प्रयोजन के लिए निवेशक-सहयोगी संबंध होगा। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि यद्यपि कोई बैंक अपने अग्रिमों की संतुष्टि में उधारकर्ता इकाई में 20 प्रतिशत से अधिक मतदान प्रभाव प्राप्त कर सकता है, फिर भी यह प्रदर्शित करने में सक्षम हो सकता है कि उसके पास महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रयोग करने की शक्ति नहीं है क्योंकि उसके द्वारा प्रयोग किए गए अधिकार प्रकृति में सुरक्षात्मक हैं और सहभागी नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे निवेश को इस लेखांकन मानक के तहत सहयोगी में निवेश के रूप में नहीं माना जा सकता

है। इसलिए, परीक्षण केवल निवेश का अनुपात नहीं होगा, बल्कि महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त करने का इरादा होगा।

(7) लेखांकन मानक 24 - बन्द हो रही गतिविधियाँ

(i) यह मानक परिचालनों को समाप्त करने के बारे में जानकारी की रिपोर्टिंग के लिए सिद्धांत स्थापित करता है।

(ii) उसी बैंक की अन्य शाखाओं में आस्तियों/देयताओं को अंतरित करके बैंक की शाखाओं के विलयन /बंद करने को परिचालन की समाप्ति न समझा जाए तथा इसलिए यह लेखा मानक उसी बैंक की अन्य शाखाओं में आस्तियों/देयताओं को अंतरित करके बैंक की शाखाओं के विलयान /बंद किए जाने पर लागू नहीं होगा

प्रकटीकरण केवल तभी मानक के तहत आवश्यक होंगे:

(ए) परिचालन बंद करने के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा देनदारी से मुक्ति और परिसंपत्तियों की वसूली हुई है, या उपरोक्त प्रभाव डालने वाले किसी परिचालन को बंद करने का निर्णय बैंक द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है और (बी) बंद किया गया संचालन अपनी संपूर्णता में पर्याप्त है।

(8) लेखांकन मानक 25 - अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग

(i) यह मानक एक अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट की न्यूनतम सामग्री, और एक अंतरिम अवधि के लिए पूर्ण, या संक्षिप्त वित्तीय विवरणों में मान्यता और माप के सिद्धांतों को निर्धारित करता है।

(ii) सूचीबद्ध बैंकों द्वारा सूचीबद्ध समझौतों के संदर्भ में की जाने वाली प्रकटीकरण अंतरिम रिपोर्टिंग के बराबर नहीं होगी जैसा कि एएस 25 के तहत परिकल्पित है और इस प्रकार सूचीबद्ध बैंकों के लिए निर्धारित त्रैमासिक रिपोर्टिंग के लिए एएस 25 अनिवार्य नहीं है।

(iii) एएस 25 के तहत निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों का हालांकि, ऐसी त्रैमासिक रिपोर्टों के संबंध में अनुपालन किया जाएगा।

(9) लेखांकन मानक 26 - अमूर्त आस्ति

(i) यह मानक उन अमूर्त आस्तियों के लिए लेखांकन उपाय निर्धारित करता है जो किसी अन्य लेखांकन मानक में विशेष रूप से नहीं निपटाए जाते हैं।

(ii) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में जिसे बैंक के उपयोग के लिए अनुकूलित किया गया है और कुछ समय तक उपयोग में रहने की उम्मीद है, मानक में निर्धारित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में विस्तृत मान्यता और परिशोधन सिद्धांत इन मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित करता है और बैंकों द्वारा इसका पालन किया जा सकता है।

(iii) ध्यान दें कि एएस 26 के तहत बैंक के तुलन पत्र में दिखाई गई और शामिल की गई अमूर्त आस्तियों पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 15(1) के प्रावधान लागू होंगे। इस धारा के अनुसार, जब तक तुलन पत्र में ऐसी कोई भी आस्ति शामिल है जो मूर्त आस्ति नहीं है, तब तक बैंक कोई भी लाभांश घोषित नहीं कर सकता।

(iv) किसी बैंक को अपनीबहियों में किसी भी अमूर्त आस्ति को रखते हुए लाभांश का भुगतान करने के लिए केंद्रीय सरकार से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15(1) से छूट लेनी चाहिए।

(10) लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यम में हित का वित्तीय प्रतिवेदन (i) यह मानक संयुक्त उद्यमों में हितों के लिए लेखांकन और संयुक्त उद्यम आस्तियों, देयताओं, आय और उद्यमों और निवेशकों के वित्तीय विवरणों में खर्चों की रिपोर्टिंग में लागू होता है, चाहे संयुक्त उद्यम गतिविधियां किन संरचनाओं या रूपों के तहत होती हों।

(ii) यह मानक संयुक्त उद्यमों के तीन व्यापक प्रकारों की पहचान करता है, अर्थात्, संयुक्त रूप से नियंत्रित संचालन, संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्ति, और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं।

(iii) संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के मामले में, जहां बैंक को सीएफएस प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, संयुक्त उद्यमों में निवेश की इस मानक के प्रावधानों के अनुसार गणना की जाएगी। संयुक्त रूप से नियंत्रित संचालन और संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्तियों के रूप में संयुक्त उद्यमों के संबंध में, यह लेखा मानक एकल वित्तीय विवरणों के साथ-साथ सीएफएस दोनों के लिए लागू है।

(iv) यह स्पष्ट किया जाता है कि यद्यपि लेखांकन मानक के पैराग्राफ 26 में यह निर्धारित किया गया है कि एकल वित्तीय विवरणों के प्रयोजन के लिए, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में निवेश को एएस 13 के अनुसार लेखांकित किया जाना है, ऐसे निवेश को आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों

के अनुसार बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाना है क्योंकि एएस 13 बैंकों पर लागू नहीं होता है।

(i) किसी बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी को सहयोगी माना जाएगा और आरआरबी में निवेश के लिए एएस 27 लागू नहीं होगा। हालांकि, आरआरबी में निवेश की एएस 23 के प्रावधानों के अनुसार सीएफएस में गणना की जाएगी।

(10) लेखांकन मानक 28 - संम्पत्तियो में व्यवधान (i) यह मानक उन प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है जो एक उद्यम यह सुनिश्चित करने के लिए लागू करता है कि उसकी आस्ति उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक नहीं है।

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि मानक सूची, निवेश और अन्य वित्तीय आस्तियों जैसे ऋण और अग्रिम पर लागू नहीं होगा, और आम तौर पर एक बैंक पर लागू होगा जहां तक यह निश्चित आस्तियों से संबंधित है।

(iii) मानक आम तौर पर वित्तीय पट्टा आस्तियों और दावों के निपटान में अधिग्रहित गैर-बैंकिंग आस्तियों पर तभी लागू होगा जब इकाई की हानि के संकेत स्पष्ट हों।

अध्याय III-वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

7. बैंक इस अध्याय में विनिर्दिष्ट जानकारी को वित्तीय विवरणों के 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' में प्रकट करेगा।

स्पष्टीकरण 1: इन प्रकटीकरण का उद्देश्य केवल पूरक है और अन्य कानूनों, विनियमों या लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताओं को प्रतिस्थापित करना नहीं है।

स्पष्टीकरण 2: बैंक को ऐसे प्रकटीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो इन निदेशों के तहत आवश्यक न्यूनतम से अधिक व्यापक हैं, खासकर यदि ऐसे प्रकटीकरण वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन की समझ में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करते हैं।

ए. सामान्य

8. इन निदेशों में सूचीबद्ध वस्तुओं को वित्तीय विवरणों के 'लेखा संबंधी टिप्पणियां' में प्रकट किया जाएगा। बैंक अतिरिक्त प्रकटीकरण करेगा जहां महत्वपूर्ण हो।

बी. प्रस्तुतिकरण

9. तुलन पत्र की अनुसूचियों के अलावा, 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों' और 'लेखा संबंधी टिप्पणियां का सारांश अलग अनुसूचियों के रूप में प्रकट किया जाएगा।

सी. प्रकटीकरण आवश्यकताएं

10. बैंक, न्यूनतम रूप से, ' लेखा संबंधी टिप्पणियां' में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा। बैंक ध्यान देगा कि प्रकटीकरण टेम्पलेट में किसी गतिविधि, लेनदेन या मद का उल्लेख मात्र यह नहीं दर्शाता है कि इसकी अनुमति है, और बैंक किसी गतिविधि या लेनदेन की अनुमति या अन्यथा का निर्धारण करते समय मौजूदा सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं का उल्लेख करेगा। बैंक वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों में बताई गई सभी राशियों के लिए पिछली अवधि के संबंध में तुलनात्मक जानकारी प्रकट करेगा। इसके अलावा, बैंक कथनात्मक और वर्णनात्मक जानकारी के लिए तुलनात्मक जानकारी शामिल करेगा यदि यह वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों को समझने के लिए प्रासंगिक है।

(1) **विनियामक पूंजी**

(i) विनियामक पूंजी की संरचना

(करोड़ रु. में राशि)

क्र. सं	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (कटौतियों के बाद, यदि कोई हो)		
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी		
iii)	टियर 1 पूंजी (आई + आईआई)		
iv)	टियर 2 पूंजी		
v)	कुल पूंजी (टियर 1 +टियर 2)		
vi)	कुल जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए)		
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)		
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)		
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)		
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)		
xi)	लीवरेज अनुपात		
xii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि		
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से: लिखत के प्रकार के अनुसार सूची दें (शाश्वत ऋण लिखत, आदि)। बैंक यह भी विनिर्दिष्ट करेगा कि लिखत बेसल 2 या बेसल 3 के अनुरूप हैं या नहीं।		
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से लिखत प्रकार (ऋण पूंजी लिखत, आदि) के अनुसार सूची दें। बैंक यह भी विनिर्दिष्ट करेगा कि लिखत बेसल 2 या बेसल 3 के अनुरूप हैं या नहीं।		

* उदाहरण: बैंक निम्नानुसार प्रकटीकरण कर सकता है

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
गैर-इक्विटी टियर 1/टियर 2 पूंजी की राशि जो वर्ष के दौरान जुटाई गई है:	###	###

a) बासेल 2/3 अनुपालन लिखत (जारी किए गए लिखत को विनिर्दिष्ट करें) b) बासेल 2/3 अनुपालन लिखत (जारी किए गए लिखत को विनिर्दिष्ट करें)	### ###	### ###

(ii) **आरक्षित से आहरण:** आरक्षित से आहरण के संबंध में राशि और आहरण के औचित्य का उल्लेख करते हुए उपयुक्त प्रकटीकरण किए जाएंगे।

(2) **आस्ति देयता प्रबंधन**

(i) **आस्तियों और देयताओं की कुछ वस्तुओं का परिपक्वता पैटर्न**

(करोड़ रु. में राशि)

	पहला दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन तक 2 महीने	2 महीने से अधिक और 3	3 महीने से अधिक	6 महीने से अधिक	1 वर्ष से अधिक और	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 से अधिक वर्ष	कुल
जमा												
अग्रिम												
निवेश												
उधार												
विदेशी मुद्रा आस्ति												
विदेशी मुद्रा देयताएँ												

नोट: बैंक को आस्ति देयता प्रबंधन पर संबंधित दिशानिर्देशों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - आस्ति देयता प्रबंधन) निदेश, 2025, समय-समय पर संशोधित, द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

(3) निवेश

(i) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

(सभी राशियाँ ₹ करोड़ में)

	वर्तमान वर्ष							पिछले वर्ष						
	एचटीएम		एएफएस	एफवीटीपीएल		एसोसिएट्स और जेवी		एचटीएम		एएफएस	एफवीटीपीएल		एसोसिएट्स और जेवी	
	लागत पर	उचित मूल्य		एचएफटी	गैर-एचएफटी	लागत पर	उचित मूल्य	लागत पर	उचित मूल्य		एचएफटी	गैर-एचएफटी	लागत पर	उचित मूल्य
I. भारत में निवेश														
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ														
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां														
(iii) शेयर														
(iv) डिबेंचर और बांड														
(v) सहयोगी और संयुक्त उद्यम														
(vi) अन्य														
कुल														
कम: हानि/एनपीआई के लिए प्रावधान														
निवल														
II. भारत के बाहर निवेश														
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)														
(ii) सहयोगी और संयुक्त उद्यम														
(iii) अन्य निवेश														

(सभी राशियाँ ₹ करोड़ में)

	वर्तमान वर्ष							पिछले वर्ष						
	एचटीएम		एएफएस	एफवीटीपीएल		एसोसिएट्स और जेवी		एचटीएम		एएफएस	एफवीटीपीएल		एसोसिएट्स और जेवी	
	लागत पर	उचित मूल्य		एचएफटी	गैर-एचएफटी	लागत पर	उचित मूल्य	लागत पर	उचित मूल्य		एचएफटी	गैर-एचएफटी	लागत पर	उचित मूल्य
कुल														
कम: हानि/एनपीआई के लिए प्रावधान														
निवल														
कुल निवेश (I+II)														

(ii) **तुलन पत्र पर उचित मूल्य पर मापा गया निवेश पोर्टफोलियो का उचित मूल्य पदानुक्रम**

(₹ करोड़ में)

	वर्तमान वर्ष								पिछले वर्ष							
	एएफएस				एफवीटीपीएल				एएफएस				एफवीटीपीएल			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
I. भारत में निवेश																
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ																
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां																
(iii) शेयर																
(iv) डिबेंचर और बांड																
(v) सहयोगी और संयुक्त उद्यम																
(VI) अन्य																
कुल																
II. भारत के बाहर निवेश																
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)																
(ii) सहयोगी और संयुक्त उद्यम																
(iii) अन्य निवेश																
कुल																
कुल निवेश (I+II)																

(iii) **एएफएस-रिज़र्व और लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त स्तर 3 वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानि)**

	वर्तमान वर्ष	**पिछले वर्ष**
एएफएस- रिज़र्व में मान्यता प्राप्त		
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त		

नोट: इस प्रकटीकरण में स्तर 3 की आस्तियां शामिल नहीं होंगी जहां आस्ति का मूल्यांकन उस आस्ति के लिए एफबीआईएल / एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्य है।

(iv) **एचटीएम से की गई बिक्री का विवरण**

एचटीएम से की गई बिक्री का विवरण नीचे उल्लिखित प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरणों के लेखा संबंधी टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा।

(सभी राशियाँ ₹ करोड़ में)

		वर्तमान वर्ष	**पिछले वर्ष**
ए	एचटीएम में प्रतिभूतियों का वहन मूल्य खोलना		
बी	वर्ष के दौरान बेची गई सभी एचटीएम प्रतिभूतियों का वहन मूल्य		
सी	घटाएं: विनियामक सीमा से छूट प्राप्त स्थितियों के तहत बेची गई प्रतिभूतियों के वहन मूल्य		
डी	बेची गई प्रतिभूतियों का मूल्य वहन करना (डी = बी-सी)		
इ	एचटीएम (ई=डी ÷ए) में प्रतिभूतियों के शुरुआती वहन मूल्य के प्रतिशत के रूप में बेची गई प्रतिभूतियाँ		
एफ	लाभ पर बेची गई एचटीएम प्रतिभूतियों के संबंध में पूंजी रिज़र्व में हस्तांतरित राशि		

*किसी भी वित्तीय वर्ष में, एचटीएम से बेचे गए निवेशों का वहन मूल्य एचटीएम पोर्टफोलियो के शुरुआती वहन मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त पांच प्रतिशत सीमा में

भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो का संचालन) निदेश, 2025 के तहत दिए गए स्थितियों में प्रतिभूतियों की बिक्री शामिल नहीं होगी।

(v) **निवेश की श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण**

भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो का संचालन) निदेश, 2025 के संदर्भ में, जब कोई बैंक निवेश को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत करता है, तो वह वित्तीय विवरणों में पुनर्वर्गीकरण समायोजन सहित ऐसे पुनर्वर्गीकरण का विवरण प्रकट करेगा।

(vi) **अनर्जक निवेश (एनपीआई) और निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित के लिए प्रावधानों का संचलन**

(करोड़ रु. में राशि)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
i) निवेश पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन क) प्रारम्भिक शेष ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान ग) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते/राइट बैक में डालना घ) अंतिम शेष **ii)** निवेश में उतार-चढ़ाव रिज़र्व का संचलन क) प्रारम्भिक शेष ख) जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि ग) घटाएं: ड्राडाउन घ) अंतिम शेष iii) एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) श्रेणी में निवेश के समापन शेष के प्रतिशत के रूप में निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व में समापन शेष।		

(vii) **गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो**

(ए) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

(करोड़ रु. में राशि)

Sr.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
ए)	प्रारंभिक शेष		
बी)	1 अप्रैल के बाद के वर्ष के दौरान परिवर्धन		
सी)	उक्त अवधि के दौरान कटौती		
डी)	समापन शेष राशि		
ई)	कुल प्रावधान रखे गए		

(बी) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचनास

(करोड़ रु. में राशि)

क्रसं.	जारीकर्ता	राशि		निजी नियोजन की सीमा		'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूतियों की सीमा		'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
ए)	पीएसयू										
बी)	एफ.आई.एस										
सी)	बैंकों										
डी)	निजी कॉर्पोरेट										
ई)	संयुक्त उपक्रम										
एफ)	अन्य										
जी)	एनपीआई के लिएप्रावधान										
	कुल										

नोट:

1. बैंक के लिए, कॉलम 3 के तहत कुल तुलन पत्र की अनुसूची 8 में निम्नलिखित श्रेणियों के तहत शामिल निवेशों के कुल योग से मेल खाना चाहिए:

   a) भारत में निवेश
      i) शेयर
      ii) डिबेंचर और बांड
      iii) सहायक और/या संयुक्त उद्यम
      iv) अन्य

   b) भारत के बाहर निवेश (जहां लागू हो)
      i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)
      ii) विदेशों में सहायक और/या संयुक्त उद्यम
      iii) अन्य निवेश

2. ऊपर कॉलम 4, 5, 6 और 7 के तहत बताई गई राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं हो सकती हैं।

(viii) **रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य और बाजार मूल्य के संदर्भ में)**

(करोड़ रु. में राशि)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		**वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया**		**वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया**		**31 मार्च को बकाया**	
	एफ वी	**एम वी**	**एफ वी**	**एम वी**	**एफ वी**	**एम वी**	**एफ वी**	**एम वी**
i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ a) सरकारी प्रतिभूतियाँ b) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ c) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ								
ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ a) सरकारी प्रतिभूतियाँ b) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ c) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ								

नोट:

(i) 'एफवी' का अर्थ है अंकित मूल्य और 'एमवी' का अर्थ है बाजार मूल्य।

(ii) प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो)) निदेश, 2025 में विनिर्दिष्ट रूप से होगा, जो समय-समय पर संशोधित किया जाता है। सुलभ संदर्भ के लिए इस मास्टर निदेश के जारी होने की तारीख को प्रकटीकरण टेम्पलेट यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है।

सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

जैसा कि ... (वर्तमान वर्ष की तुलन पत्र दिनांक)

(करोड़ रु. में राशि)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	**वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया**	**वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया**	**वर्ष के दौरान लेन-देन की कुल मात्रा**	**31 मार्च को बकाया**
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ					

जैसा कि ..... (पिछले वर्ष की तुलन पत्र तिथि)

(करोड़ रु. में राशि)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	**वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया**	**वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया**	**वर्ष के दौरान लेन-देन की कुल मात्रा**	**31 मार्च को बकाया**
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ					

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेन-देन की कुल मात्रा	31 मार्च को बकाया
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ					

नोट: प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूति ऋण) निदेश, 2023 में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।सुलभ संदर्भ के लिए इस निदेश के जारी होने की तारीख को प्रकटीकरण टेम्पलेट यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है।

(4) **धोखाधड़ी खाते**

बैंक नीचे दिए गए टेम्पलेट के अनुसार धोखाधड़ी की संख्या और राशि के साथ-साथ उस पर प्रावधान का विवरण प्रकट करेगा।

	चालू वर्ष	**पिछले वर्ष**
धोखाधड़ी की रिपोर्ट की गई संख्या		
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)		
ऐसे धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)		
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित' से कटौती की गई गैर-परिशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)		

(5) **एक्सपोज़र**

(i) **पूंजी बाजार एक्सपोज़र**

(करोड़ रु. में राशि)

विवरण	**वर्तमान वर्ष**	**पिछले वर्ष**
i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है;		
ii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
पूंजी बाजार के लिए कुल एक्सपोज़र		

(ii) **जोखिम श्रेणी के अनुसार देश एक्सपोज़र**

(करोड़ रु. में राशि)

जोखिम श्रेणी *	**मार्च तक एक्सपोजर (नेट) (चालू वर्ष)**	**मार्च तक रखा गया प्रावधान (चालू वर्ष)**	**मार्च तक एक्सपोजर (नेट) (पिछला वर्ष)**	**मार्च तक रखा गया प्रावधान (पिछला वर्ष)**
अमहत्वपूर्ण				
कम				
मध्यम रूप से कम				
मध्यम				
मध्यम रूप से उच्च				
उच्च				

जोखिम श्रेणी *	मार्च तक एक्सपोजर (नेट) (चालू वर्ष)	मार्च तक रखा गया प्रावधान (चालू वर्ष)	मार्च तक एक्सपोजर (नेट) (पिछला वर्ष)	मार्च तक रखा गया प्रावधान (पिछला वर्ष)
अति उच्च				
कुल				

*जब तक कोई बैंक आंतरिक रेटिंग प्रणालियों में नहीं जाता है, तब तक वह वर्गीकरण के उद्देश्य से और देश जोखिम के प्रावधानों के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) द्वारा अपनाए गए सात-श्रेणी वर्गीकरण का उपयोग करेगा। ईसीजीसी अनुरोध पर बैंक को उनके देश वर्गीकरण का त्रैमासिक अद्यतन प्रदान करेगा और अंतरिम अवधि में देश वर्गीकरण में किसी भी अचानक बड़े बदलाव की स्थिति में बैंकों को सूचित करेगा।

नोट: यदि किसी बैंक का वर्तमान और पिछले वर्ष दोनों में देश जोखिम के लिए कोई जोखिम नहीं है, तो यह उल्लेख करते हुए तालिका का प्रकटीकरण छोड़ सकता है कि इसका देश जोखिम के लिए कोई जोखिम नहीं है।

(6) **अंतर-समूह एक्सपोजर:** बैंक को पिछले वर्ष के लिए तुलनात्मक के साथ वर्तमान वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रकटीकरण करने होंगे:

(i) अंतर-समूह जोखिमों की कुल राशि

(ii) शीर्ष 20 अंतर-समूह जोखिमों की कुल राशि

(iii) ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के अंतर-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत

(iv) यदि कोई हो, तो अंतर-समूह जोखिमों पर सीमाओं के उल्लंघन का विवरण और उस पर विनियामक कार्रवाई।

(7) डेरिवेटिव

(i) डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का विवरण

(सभी राशियाँ ₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
	स्तर 1	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**
ब्याज दर डेरिवेटिव						
एमटीएम – आस्तियाँ						
एमटीएम – देयताएं						

	चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
	स्तर 1	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**
लाभ और हानि खाते में निर्धारित निवल लाभ/हानि						
विनिमय दर डेरिवेटिव						
एमटीएम – आस्तियाँ						
एमटीएम – देयताएं						
लाभ और हानि खाते में निर्धारित निवल लाभ/हानि						
अन्य डेरिवेटिव (विनिर्दिष्ट)						
एमटीएम – आस्तियाँ						
एमटीएम – देयताएं						
लाभ और हानि खाते में निर्धारित निवल लाभ/हानि						

(ii) **फॉरवर्ड दर समझौता/ ब्याज दर स्वैप**

(करोड़ रु. में राशि)

विवरण	**वर्तमान वर्ष**	**पिछले वर्ष**
i) स्वैप समझौतों का काल्पनिक मूलधन ii) वे हानियाँ जो तब होंगी जब प्रतिपक्षकार करारों के तहत अपने दायित्व पूरे करने में विफल रहें। iii) स्वैप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा आवश्यक संपार्श्विक iv) स्वैप से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण (उदाहरण के लिए, विशेष उद्योगों के लिए जोखिम, या अत्यधिक उधारी वाली कंपनियों के साथ स्वैप) v) स्वैप बुक का उचित मूल्य (नोट- यदि स्वैप विशिष्ट आस्तियों, देयताओं या प्रतिबद्धताओं से जुड़े हैं, तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जो बैंक को तुलन पत्र की तारीख पर स्वैप समझौतों को समाप्त करने के लिए		

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
प्राप्त होगी या भुगतान करेगी। ट्रेडिंग स्वैप के लिए उचित मूल्य इसका बाजार मूल्य का निशान होगा)		

नोट: क्रेडिट और बाजार जोखिम की जानकारी सहित स्वैप की प्रकृति और शर्तें और स्वैप को रिकॉर्ड करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियों का भी प्रकटीकरण किया जाएगा।

(iii) एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव

(करोड़ रु. में राशि)

सं. क्र.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
i)	वर्ष के दौरान किए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव की काल्पनिक मूल राशि (लिखत वार)		
ii)	31 मार्च को बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव की काल्पनिक मूल राशि . (लिखत वार)		
iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया काल्पनिक मूल राशि और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं (लिखत वार)		
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स के बकाया और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं (लिखत वार) के बाजार मूल्य को चिह्नित करें		

(iv) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटीकरण

(**ए) गुणात्मक प्रकटीकरण:** बैंक डेरिवेटिव से संबंधित अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों का विशेष संदर्भ के साथ प्रकटीकरण करेगा कि डेरिवेटिव का उपयोग किस हद तक किया जाता है, संबंधित जोखिम और व्यवसाय के उद्देश्य क्या हैं। प्रकटीकरण में यह भी शामिल होना चाहिए:

(i) डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन,

(ii) जोखिम मापन, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणालियों का दायरा और प्रकृति

(iii) हेजिंग और/ या जोखिम को कम करने के लिए नीतियां और बचाव/न्यूनीकरण की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतियां और प्रक्रियाएं, और हेज और गैर-हेज लेनदेन

को रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की मान्यता; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और क्रेडिट जोखिम शमन।

(बी) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(करोड़ रु. में राशि)

क्र. सं	विशिष्ट	वर्तमान वर्ष		पिछले वर्ष	
		मुद्रा डेरिवेटिव	**ब्याज दर** डेरिवेटिव	**मुद्रा** डेरिवेटिव	**ब्याज दर** डेरिवेटिव
ए)	डेरिवेटिव (काल्पनिक मूलधन राशि)				
बी)	बाजार स्थितियों के लिए चिह्नित [1]				
	i) आस्ति (+)				
	ii) देयता (-)				
डी)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
ई)	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100 * 01 देखा गया				

[1] निवल स्थिति प्रत्येक प्रकार के डेरिवेटिव के लिए आस्ति या देयता के तहत दिखाई जाएगी, जैसा भी मामला हो।

(8) **जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए फंड) में अंतरण**

(करोड़ रु. में राशि)

क्र.सं.	**विवरण**	**वर्तमान वर्ष**	**पिछले वर्ष**
i)	डीईए निधि में स्थानांतरित की गई राशि का प्रारंभिक शेष		
ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईए फंड में स्थानांतरित की गई राशियाँ		
iii)	घटाएं डीईए फंड द्वारा दावों के प्रति प्रतिपूर्ति की गई राशि		
iv)	डीईए निधि में स्थानांतरित की गई राशि का अंतिम शेष		
बैंक यहां विनिर्दिष्ट करेगा कि डीईए फंड में स्थानांतरित की गई राशि का समापन शेष, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 'अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ - अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है' या 'आकस्मिक देयताएँ - अन्य,' जैसा भी मामला हो, के तहत भी शामिल हैं।			

(9) **शिकायतों का प्रकटीकरण**

(i) **ग्राहकों से और ओम्बुड्समैन के कार्यालयों (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल का कार्यालय) से बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों पर सारांश *ब्योरा***

क्र.सं.		**विवरण**	**वर्तमान वर्ष**	**पिछले वर्ष**
	बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1.		वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या		
2.		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या		
3.		वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या		
	3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या		
4.		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या		
	लोकपाल कार्यालय से बैंक द्वारा प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतें			
5.		लोकपाल कार्यालय से बैंक द्वारा प्राप्त रख-रखाव योग्य शिकायतों की संख्या		
	5.1.	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या		
	5.2	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा सुलह/मध्यस्थता/परामर्श जारी करके शिकायतों का समाधान किया गया		
	5.3	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंकों के विरुद्ध अधिनिर्णय पारित करने के बाद शिकायतों की संख्या का समाधान किया गया		
6.		निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (जिनके विरुद्ध अपील की गई है)		
नोट: अनुरक्षणीय शिकायतें एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर की गई शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं।				

(ii) **ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार**

शिकायतों के आधार, (अर्थात, से संबंधित शिकायतें)	**वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या**	**वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या**	**पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी**	**वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या**	**5 में से, 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

शिकायतों के आधार, (अर्थात, से संबंधित शिकायतें)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या
	वर्तमान वर्ष				
आधार- 1					
आधार - 2					
आधार - 3					
आधार - 4					
आधार - 5					
अन्य					
कुल					
	विगत वर्ष				
आधार - 1					
आधार - 2					
आधार - 3					
आधार - 4					
आधार - 5					
अन्य					
कुल					

नोट: परिपत्र सी.ई.पी.डी.सी.पी.आर.डी.सीआईआर.एन.ओ.1/13.01.013/2020-21 दिनांक 27 जनवरी, 2021 में 'बैंकों के शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना' में दिए गए शिकायतों के आधार की पहचान करने के लिए मास्टर सूची के अनुसार।

1. एटीएम/डेबिट कार्ड	2.इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	3. खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई	4. अपविक्रय/पैरा-बैंकिंग
5. प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट	6. वरिष्ठ नागरिकों/दिव्यांगजनों के लिए पेंशन और सुविधाएं	7. बिना पूर्व सूचना के शुल्क का लेवी/अत्यधिक शुल्क	8. चेक/ड्राफ्ट/बिल
9. उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	10. सिक्कों का विनिमय, छोटे मूल्य के नोटों और सिक्कों का निर्गमन/स्वीकृति	11. कर्मचारी व्यवहार	12. शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं/शाखा द्वारा निर्धारित कार्य घंटों का पालन, आदि

13. अन्य

(10) भरतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

(i) (ए) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (बी) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, और (सी) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल के बाउंस होने पर) के प्रावधानों के तहत आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने को संबंधित बैंक की अगली वार्षिक रिपोर्ट में तुलन पत्र के 'लेखा संबंधी टिप्पणियां' में प्रकट किया जाएगा।

(ii) बैंक उल्लंघन की प्रकृति, चूक के उदाहरणों की संख्या और लगाए गए जुर्माने की मात्रा पर उचित प्रकटीकरण करेगा।

(iii) रिवर्स रेपो लेनदेन में चूककर्ता प्रतिभागी वित्तीय वर्ष के दौरान चूक के उदाहरणों की संख्या के साथ-साथ आरबीआई को भुगतान किए गए जुर्माने की मात्रा का उचित प्रकटीकरण करेगा।

(11) पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

(i) बैंक को अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में न्यूनतम वार्षिक आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों / मुख्य कार्यकारी अधिकारियों / भौतिक जोखिम लेने वालों के पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण करने की आवश्यकता होती है।

(ii) बैंक प्रपत्र या चार्ट प्रारूप में प्रकटीकरण करेगा और पिछले के साथ-साथ वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष के लिए प्रकटीकरण करेगा।

(iii) इसके अलावा, बैंक (जहां लागू हो), निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण करेगा:

प्रकटीकरण का प्रकार		**जानकारी**
गुणात्मक	(ए)	नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और जनादेश से संबंधित जानकारी।
	(बी)	पारिश्रमिक प्रक्रियाओं के डिजाइन और संरचना से संबंधित जानकारी और पारिश्रमिक नीति की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य।

प्रकटीकरण का प्रकार		जानकारी		
	(सी)	पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को ध्यान में रखने के तरीकों का विवरण। इसमें इन जोखिमों को ध्यान में रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपायों की प्रकृति और प्रकार शामिल होना चाहिए।		
	(डी)	उन तरीकों का विवरण जिसमें बैंक प्रदर्शन माप अवधि के दौरान प्रदर्शन को पारिश्रमिक के स्तर के साथ जोड़ने का प्रयास करता है।		
	(ई)	परिवर्तनीय पारिश्रमिक के स्थगन और निहित करने पर बैंक की नीति पर चर्चा और निहित करने से पहले और निहित करने के बाद स्थगित पारिश्रमिक को समायोजित करने के लिए बैंक की नीति और मानदंडों पर चर्चा।		
	(एफ)	परिवर्ती पारिश्रमिक के विभिन्न रूपों का विवरण (अर्थात, नकद और शेयर-लिंक्ड उपकरणों के प्रकार) जिनका बैंक उपयोग करता है और इन विभिन्न रूपों का उपयोग करने का तर्क।		
			वर्तमान वर्ष	**पिछला वर्ष**
मात्रात्मक प्रकटीकरण *(मात्रात्मक प्रकटीकरण में केवल पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/भौतिक जोखिम लेने वाले शामिल होने चाहिए)*	(जी)	वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या और इसके सदस्यों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक।		
	(एच)	(i) वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तनीय पारिश्रमिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या। (ii) नंबर और वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए साइन-		

प्रकटीकरण का प्रकार		जानकारी		
		ऑन/जॉइनिंग बोनस की कुल राशि। (iii) यदि कोई हो तो उपार्जित लाभों के अलावा विच्छेद वेतन का विवरण।		
	(आई)	(i) देय आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि, नकद, शेयरों और शेयर से जुड़े उपकरणों और अन्य रूपों में विभाजित। (ii) वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि।		
	(जे)	नियत और परिवर्तनीय, आस्थगित और गैर-आस्थगित दिखाने के लिए वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक पुरस्कारों की राशि का ब्यौरा।		
	(के)	(i) देय आस्थगित पारिश्रमिक और प्रतिधारण पारिश्रमिक की कुल राशि जो स्पष्ट और/या निहित समायोजन के लिए उजागर होती है। (ii) विशेष समायोजन के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान कटौती की कुल राशि।		

प्रकटीकरण का प्रकार		जानकारी		
		(iii) वित्त वर्ष के दौरान एक्स पोस्ट इम्प्लिसिट समायोजन के कारण कटौती की कुल राशि।		
	(एल)	पहचाने गए एमआरटी की संख्या।		
	(एम)	(i) ऐसे मामलों की संख्या जहां मालुस का प्रयोग किया गया है। (ii) ऐसे मामलों की संख्या जहां क्लॉबैक का प्रयोग किया गया है। (iii) ऐसे मामलों की संख्या जहां मालोस और क्लॉबैक दोनों का प्रयोग किया गया है।		
सामान्य मात्रात्मक प्रकटीकरण	(एन)	पूरे बैंक के लिए औसत वेतन (उप-स्टाफ को छोड़कर) और प्रत्येक के वेतन का औसत वेतन से विचलन।		

(iv) बैंक अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में न्यूनतम वार्षिक आधार पर गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का भी प्रकटीकरण करेगा।

(v) शेयर से जुड़े लिखतों का मूल्य ब्लैक-स्कोल्स मॉडल का उपयोग करके बैंक द्वारा अनुदान की तारीख पर उचित मूल्य पर आंका जाना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त उचित मूल्य को उस लेखा अवधि के लिए एक व्यय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए जिसके लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(12) **अन्य प्रकटीकरण**

(i) **व्यापार अनुपात**

विशिष्ट	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
i) कार्यकारी निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय[1] ii) कार्यकारी निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय[2] iii) जमा की लागत iv) निवल ब्याज मार्जिन[3] v) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ 1 vi) आस्तियों पर रिटर्न[4] vii) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम)[5] (₹ करोड़ में) viii) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)		

[1] कार्यशील निधियों की गणना वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान भुगतान बैंकों के लिए फॉर्म X में आरबीआई को रिपोर्ट की गई कुल आस्तियों (यदि कोई हो तो संचित नुकसान को छोड़कर) के औसत के रूप में की जानी है।

[2]निवल ब्याज मार्जिन = निवल ब्याज आय / औसत ब्याज आय जहां निवल ब्याज आय = ब्याज आय - ब्याज व्यय।

[3] आस्तियों पर रिटर्न औसत कार्यशील निधियों (यानी, संचित नुकसान, यदि कोई हो, को छोड़कर आस्तियों का कुल) के संदर्भ में होगा।

[4] प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) की गणना के प्रयोजन के लिए, अंतर-बैंक जमा को बाहर रखा जाएगा।

(ii) **बैंक बीमा व्यवसाय:** बैंक द्वारा किए गए बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंक बीमा व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज का विवरण वर्तमान वर्ष और पिछले वर्ष दोनों के लिए प्रकट किया जाएगा।

(iii) **विपणन और वितरण:** बैंक अपने द्वारा किए गए विपणन और वितरण कार्य (बैंक एश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का विवरण प्रकट करेगा।

(iv) **प्रावधान और आकस्मिकताएँ**

(करोड़ रु. में राशि)

लाभ और हानि खाते में प्रावधान डेबिट किया गया	**वर्तमान वर्ष**	**पिछले वर्ष**
i) एनपीआई के लिए प्रावधान		
ii) आयकर के प्रति प्रावधान किया गया		
iii) अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरण के साथ)		

(v) **आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एएस)**

(ए) चूंकि आरबीआई द्वारा अनुशंसित विधायी संशोधन भारत सरकार के विचाराधीन हैं, इसलिए बैंकों के लिए इंड-एएस का कार्यान्वयन अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।

(बी) हालाँकि, बैंक इस संबंध में की गई प्रगति सहित, इंड-एएस कार्यान्वयन के लिए रणनीति का प्रकटीकरण करना जारी रखेगा। इन खुलासों को इंड-एएस के कार्यान्वयन तक किया जाना चाहिए।

(vi) **डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान**

[1] [बैंक वार्षिक रिपोर्ट में यह खुलासा करेगा कि 'लागू बीमा प्रीमियम का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर डीआईसीजीसी को किया गया था'। यदि बैंक ने आवश्यक समयसीमा के अनुसार भुगतान नहीं किया है, तो इसका भी खुलासा किया जाएगा।]

[1] इसे 16 मार्च 2026 के भारतीय रिजर्व बैंक (भुगतान बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) संशोधन निदेश, 2026 के ज़रिए 1 अप्रैल 2026 से बदल दिया गया है।

अध्याय IV- समेकित वित्तीय विवरण

11. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत निर्धारित प्रारूपों के अनुसार तैयार किए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अलावा, बैंक, चाहे सूचीबद्ध हो या सूचीबद्ध न हो, अपनी वार्षिक रिपोर्ट में **अनुबंध II** में निर्धारित प्रारूपों में सीएफएस तैयार करेगा और उसका खुलासा करेगा।

स्पष्टीकरण: सीएफएस में आम तौर पर एक समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण, प्रमुख लेखांकन नीतियां और 'लेखा संबंधी टिप्पणियां' शामिल होंगे।

12. बैंक के लिए सीएफएस भी बैंक के वार्षिक खातों के प्रकाशन के एक महीने के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) को प्रस्तुत किया जाएगा।

13. सीएफएस बैंक के लिए लागू लेखांकन मानकों के संदर्भ में तैयार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1: वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए, 'मूल', 'सहयोगी', 'संयुक्त उद्यम', 'नियंत्रण', और 'समूह' शब्दों का वही अर्थ होगा जो बैंक के लिए लागू लेखांकन मानकों में उन्हें दिया गया है।

स्पष्टीकरण 2: आरआरबी को अपने प्रायोजक बैंक के सीएफएस में 'एसोसिएट' माना जाएगा।

14. समेकन के लिए किसी विशेष इकाई को शामिल किया जाएगा या नहीं, यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी मूल इकाई के प्रबंधन की होगी।

बशर्ते कि, सांविधिक लेखा परीक्षकों को अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख करना चाहिए, यदि उनकी राय है कि एक इकाई जिसे समेकित किया जाना चाहिए था, उसे छोड़ दिया गया है।

15. ऐसे मामलों में जहां समूह में विभिन्न संस्थाएं संबंधित विनियामक (विनियामकों) द्वारा निर्धारित विभिन्न लेखांकन मानदंडों द्वारा शासित होती हैं, तुलन पत्र आकार का उपयोग प्रमुख गतिविधि को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है और इसके विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट समान लेनदेन और घटनाओं के समेकन के लिए लेखांकन मानदंडों का उपयोग किया जा सकता है।

बशर्ते कि, जहां बैंकिंग प्रमुख गतिविधि है, वहां समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और अन्य घटनाओं के संबंध में समेकन उद्देश्यों के लिए बैंक पर लागू लेखांकन मानदंडों का उपयोग किया जाएगा।

16. 'इक्विटी विधि' का उपयोग करके शामिल नहीं किए गए सहयोगियों में बैंक द्वारा निवेश का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी प्रासंगिक मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

17. बैंक के निदेशक मंडल को सहयोगी, संयुक्त उद्यम में निवेश के समय अस्थायी अवधि के लिए या अन्यथा निवेश रखने के इरादे को अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड करना चाहिए।

बशर्ते कि, ऐसे निवेश के समय बोर्ड द्वारा ऐसे इरादे के रिकॉर्ड के अभाव में, निवेशित इकाई को सीएफएस में समेकित किया जाएगा।

अध्याय V-अन्य निदेश

ए. अंतर-शाखा खाता - निवल डेबिट शेष के लिए प्रावधान

18. बैंक असमाहित अंतर-शाखा खाता प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

(1) बैंक अंतर-शाखा खाते में पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया क्रेडिट प्रविष्टियों को अलग करेगा और उन्हें एक अलग 'अवरुद्ध खाते' में स्थानांतरित करेगा जिसे 'अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य' के तहत दिखाया जाएगा।

(2) अवरुद्ध खाते से किसी भी समायोजन की अनुमति केवल दो अधिकारियों के प्राधिकरण के साथ दी जानी चाहिए, जिनमें से एक नियंत्रण / प्रधान कार्यालय से होना चाहिए यदि राशि एक लाख रुपये से अधिक है।

(3) अवरुद्ध खाते में शेष राशि को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव के उद्देश्य से देयता के रूप में गणना की जाएगी।

(4) बैंक अंतर-शाखा खातों के माध्यम से किए गए विभिन्न प्रकार के लेनदेन के लिए श्रेणी-वार (शीर्ष-वार) खाते बनाएगा, ताकि नेटिंग श्रेणी-वार की जा सके। तुलन पत्र की तारीख के अनुसार, बैंक छह महीने से अधिक समय से बिना मिलान वाली डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों को अलग करेगा और ब्लॉक किए गए खाते में शेष राशि पर विचार करते हुए, श्रेणीवार निवल स्थिति पर पहुंचेगा।

(5) अंतर-शाखा खातों की सभी श्रेणियों के तहत निवल डेबिट को एकत्रित किया जाएगा और कुल निवल डेबिट के 100 प्रतिशत के बराबर प्रावधान किया जाएगा।

बशर्ते कि, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि एक श्रेणी में निवल डेबिट दूसरी श्रेणी में निवल क्रेडिट के विरुद्ध सेट-ऑफ नहीं है।

बी. नोस्ट्रो खाते का मिलान और बकाया प्रविष्टियों का उपाय

19. नोस्ट्रो खातों में उपाय बैंक के अनुसार होगा:

(1) बैंक मिलान पर मजबूत नियंत्रण रखने के लिए कदम उठाएगा और वास्तविक समय में मिलान करने की प्रणाली स्थापित करेगा, जिसमें किसी भी तरह के अंतर का तुरंत पता चलने और उसे आगे बढ़ाने (एस्केलेशन) की व्यवस्था हो।

(2) नोस्ट्रो खातों में लंबित मदों की शीर्ष प्रबंधन द्वारा कम अंतराल पर कड़ी निगरानी की जानी चाहिए।

(3) नोस्ट्रो खातों में सभी असमाधानित क्रेडिट प्रविष्टियाँ जो तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं, उन्हें ब्लॉक किए गए खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और बकाया देयताओं के रूप में दिखाया जाएगा।

(4) अवरुद्ध खाते में शेष राशि को सीआरआर/एसएलआर के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

(5) बैंक नोस्ट्रो खातों में सभी असमाधानकृत डेबिट प्रविष्टियों के संबंध में 100 प्रतिशत प्रावधान करेगा, जो दो वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं।

सी. आरक्षित निधियों से अंतरण/विनियोजन

20. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(1) के अनुसार, बैंक को लाभ और हानि खाते में प्रकट किए गए लाभ के शेष राशि में से, ऐसे लाभ के 20 प्रतिशत से कम नहीं के बराबर राशि को रिज़र्व फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। ये प्रावधान न्यूनतम सांविधिक आवश्यकता हैं। हालांकि, पूंजी बढ़ाने के लिए, बैंक विनियोजन से पहले 'निवल लाभ' का 25 प्रतिशत से कम हस्तांतरित नहीं करेगा।

21. जब तक कि मौजूदा नियमों द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए, बैंक को सांविधिक रिज़र्व या किसी अन्य रिज़र्व से कोई विनियोजन करने से पहले आरबीआई से पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

22. बैंकों को यह भी सलाह दी जाती है कि,

(1) किसी अवधि में मान्यता प्राप्त प्रावधानों और राइट-ऑफ सहित सभी खर्च, चाहे अनिवार्य हो या विवेकपूर्ण, को अवधि के लिए लाभ और हानि खाते में 'रेखा से ऊपर' मद के रूप में दर्शाया जाएगा (अर्थात, वर्ष के लिए निवल लाभ / हानि पर पहुंचने से पहले)

(2) आरबीआई की पूर्व अनुमति से, रिज़र्व से आहरण, केवल 'रेखा से नीचे' (अर्थात वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि पर पहुंचने के बाद) किया जाएगा; और

(3) तुलन पत्र के 'लेखा संबंधी टिप्पणियां' में इस तरह के आहरण का उचित प्रकटीकरण किया जाएगा।

(4) लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना, बैंक शेयरों के निर्गम व्यय को पूरा करने के लिए शेयर प्रीमियम खाते का उपयोग कर सकते हैं, इस हद तक कि ऐसे व्यय लेनदेन के लिए सीधे जिम्मेदार वृद्धिशील लागत हैं जो अन्यथा टाले जा सकते थे।

बशर्ते कि, शेयर प्रीमियम खाते का उपयोग ऋण लिखत जारी करने से संबंधित खर्चों को बट्टे खाते में डालने के लिए नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस निदेश के प्रयोजनों के लिए, निर्गम व्यय में पंजीकरण और अन्य विनियामक शुल्क, कानूनी, लेखांकन और अन्य पेशेवर सलाहकारों को किए गए भुगतान, मुद्रण लागत और स्टाम्प शुल्क शामिल होंगे।

डी. धोखाधड़ी के लिए प्रावधान

23. धोखाधड़ी के लिए प्रावधान के संबंध में, बैंक जिसने निर्धारित समय के भीतर धोखाधड़ी की सूचना दी है, उसके पास धोखाधड़ी का पता लगने वाले तिमाही से शुरू होने वाली चार तिमाहियों से अधिक की अवधि में इसके लिए प्रावधान करने का विकल्प होगा।

24. जहां बैंक धोखाधड़ी के लिए दो से चार तिमाहियों में प्रदान करने का विकल्प चुनता है और इसके परिणामस्वरूप पूर्ण प्रावधान एक से अधिक वित्तीय वर्षों में किया जाता है, लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन, यह प्रावधानों में क्रेडिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रदानित शेष राशि द्वारा सांविधिक रिज़र्व के अलावा अन्य रिज़र्व डेबिट कर सकता है।

    बशर्ते कि, इसे बाद में रिज़र्व में किए गए डेबिट को आनुपातिक रूप से प्रतिवर्तित करना चाहिए और अगले वित्तीय वर्ष की क्रमिक तिमाहियों में लाभ और हानि खाते को डेबिट करके प्रावधान को पूरा करना चाहिए।

25. जहां धोखाधड़ी की सूचना आरबीआई को देने में निर्धारित अवधि से अधिक देरी हुई है, वहां पूरे प्रावधान को एक ही बार में किया जाना आवश्यक है।

ई. असमाधानकृत शेष

26. किसी भी अस्थायी खाते में बिना दावे वाले शेष राशि का क्रेडिट बैलेंस लाभ और हानि खाते या किसी भी रिज़र्व में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

एफ. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत बनाए गए विशेष रिज़र्व पर आस्थगित कर देयता (डीटीएल)

27. बैंक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत बनाए गए विशेष रिज़र्व पर डीटीएल के लिए प्रावधान करेगा।

जी. विंडो ड्रेसिंग

28. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता उसकी वित्तीय स्थिति की वास्तविक और उचित तस्वीर को दर्शाता है।

29. वित्तीय मामलों की दिखावटी प्रस्तुति, कम प्रावधान, जोखिम भार की कम रिपोर्टिंग/गलत गणना, खर्चों का गलत पूंजीकरण, वित्तीय वर्ष के अंत में आस्ति और देयताओं का जानबूझकर अतिरंजन और अगले वित्तीय वर्ष में तुरंत उलटफेर आदि के उदाहरणों को गंभीरता से देखा जाएगा और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के संदर्भ में उचित दंडात्मक कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

अध्याय VI- निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और व्यावृत्ति

30. इन निदेशों के जारी होने के साथ, वित्तीय विवरणों से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश- भुगतान बैंकों पर लागू प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण, 28 नवंबर 2025 दिनांक के परिपत्र डीओआर.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से सूचित किए गए अनुसार निरस्त हो गए हैं। इन निदेशों के जारी होने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त ही रहेंगे।

31. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, निदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या कथित कार्रवाई, या शुरू की गई कार्रवाई, उसके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियां या पावती इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएंगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

ए. कोई भी अधिकार, दायित्व या दायित्व अर्जित, उपार्जित या उसके तहत अर्जित किया गया है;

बी. इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में लगाया गया कोई भी जुर्माना, जब्ती या सजा;

सी. किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती या सजा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है, या लागू किया जा सकता है और ऐसी कोई भी दंड, जब्ती या सजा लगाई जा सकती है जैसे कि उन निदेशों, निदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

32. इन निदेशों के प्रावधान, समय-समय पर लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, और उनके अपवाद नहीं होंगे।

सी. व्याख्याएँ

33. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि वह

आवश्यक समझता है, तो यहां शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और आरबीआई द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(सुनील टी एस नायर)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध I

तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते का प्रारूप

(फॉर्म ए और फॉर्म बी मूल भारत सरकार की अधिसूचना एसओ 240(ई) दिनांक 26 मार्च 1992 से पुन: प्रस्तुत किया गया है)

प्रपत्र ए

तुलन पत्र का रूप

---------- (यहाँ बैंकिंग कंपनी का नाम भरे) का तुलन पत्र

31 मार्च ---------- (वर्ष) की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र (000 को छोडकर)

	अनुसूची	31 मार्च, ___ (वर्तमान वर्ष) को	31 मार्च, ___ (पिछले वर्ष) तक
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1		
आरक्षित और अधिशेष	2		
जमा	3		
उधार	4		
अन्य देयताएं और प्रावधान	5		
कुल			
आस्ति			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष	6		
बैंको में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	7		
विनिधान	8		
अग्रिम	9		
स्थिर आस्तियां	10		
अन्य आस्ति	11		
जोड़			
समाश्रित दायित्व संग्रहण के लिए बिल	12		

अनुसूची 1 - पूंजी

		31 मार्च, ___ (वर्तमान वर्ष) को	31 मार्च, ___ (पिछले वर्ष) तक
I	राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए पूंजी (केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व में)		
II	भारत के बाहर निगमित बैंकों के लिए		
	पूंजी		
	(i) आरबीआई द्वारा निर्धारित स्टार्ट-अप पूंजी के माध्यम से बैंकों द्वारा लाई गई राशि को इस शीर्ष के तहत दिखाया जाना चाहिए।		
	(ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(2) के तहत आरबीआई के पास रखी गई जमा राशि।		
	कुल		

	31 मार्च, ___ (वर्तमान वर्ष) को	31 मार्च, ___ (पिछले वर्ष) तक

III अन्य बैंकों के लिए

प्राधिकृत पूंजी

(_____रूपये प्रति शेयर वाले ___ शेयर)

जारी पूंजी

(_____ रूपये प्रति शेयर वाले ___ शेयर)

अभिदत्त पूंजी

(_____रू. के ___ शेयर)

कॉल-अप पूंजी

(प्रत्येक _____रू. के ___ शेयर)

घटाइए: अदत्त मांग

जोडीए: समप्रहृत शेयर

अनुसूची 2 - आरक्षितिया और अधिशेष

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. कानूनी आरक्षितिया		
अथशेष		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
II. पूंजी आरक्षितिया		
अथशेष		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
III. शेयर प्रीमियम		
अथशेष		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
IV. राजस्व और अन्य आरक्षितिया		
अथशेष		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
V. लाभ और हानि खाते का अधिशेष		
जोड़ (1, 2, 3, 4 और 5)		

अनुसूची 3 - निक्षेप

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
ए.I. मांग निक्षेप		
(i) बैंकों से		
(ii) अन्य से		
II. बचत बैंक निक्षेप		
III. कालिक निक्षेप		
(i) बैंकों से		
(ii) अन्य से		
जोड़ (I, II और III)		
बी. (i) भारत में शाखाओं के निक्षेप		
(ii) भारत से बाहर शाखाओं के निक्षेप		
जोड़		

अनुसूची 4 - उधार

	31 मार्च, ___ (वर्तमान वर्ष) को	31 मार्च, ___ (पिछले वर्ष) तक
I. भारत में उधार		
(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक		
(बी) अन्य बैंक		
(सी) अन्य संस्थान व अभिकरण		
II. भारत के बाहर उधार		
जोड़ (I और II)		
उपर I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार -- रूपये		

अनुसूची 5 – अन्य देनदारियों तथा प्रावधान

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. सदेय बिल		
II. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		
III. अर्जित ब्याज		
IV. अन्य (इसमे व्यवस्था सम्मिलित है)		
जोड़		

अनुसूची 6 – भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. हाथ नकदी (इसमे विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)		
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष		
(i) चालू खाते में		
(ii) अन्य खातों में		
जोड़ (I और II)		

अनुसूची 7 – बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. भारत में		
(i) बैंकों में अतिशेष		
(ए) चालू खातों में		
(बी) अन्य जमा खातों में		
(ii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन		
(ए) बैंकों के पास		
(बी) अन्य संस्थानों में		

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
जोड़ (i और ii)		
II. भारत में बाहर		
(i) चालू खातों में		
(ii) अन्य जमा खातों में		
(iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन`		
जोड़ (i, ii और iii)		
जोड़ (I और II)		

अनुसूची 8 – विनिधान

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. भारत में विनिधान		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां		
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
(iii) शेयर		
(iv) डिबेंचर और बध पत्र		
(v) अनुषंगियों और/अथवा सह उद्यम		
(vi) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		
II. भारत के बाहर विनिधान		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकारी सम्मिलित हैं)		
(ii) विदेश में अनुषंगियों और/अथवा उद्यम		
(iii) अन्य विनिधान (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		
कुल जोड़ (I और II)		

अनुसूची 9 – अग्रिम

		31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
ए.	(i) क्रय किए गए और मिती काटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र		
	(ii) रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रति सदेय उधार		
	(iii) सावधि उधार		
	जोड़		
बी.	(i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत		
	(ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा सूरक्षित		
	(iii) अप्रतिभूत		
	जोड़		
सी.I.	भारत में अग्रिम		
	(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		
	(ii) सरकारी क्षेत्र		
	(iii) बैंक		
	(iv) अन्य		
	जोड़		
सी.II.	भारत के बाहर अग्रिम		
	(i) बैंकों से शोध्य		
	(ii) अन्यों से शोध्य		
	(ए) क्रय किए गए और मिती काटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र		
	(बी) सिंडिकेटेड ऋण		
	(सी) अन्य		
	जोड़		
	कुल जोड़ (सी.I और II)		

अनुसूची 10 – स्थिर आस्तियां

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. परिसर		
पूर्ववर्तीय वर्ष की 31 मार्च के अनुसार लागत		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वर्ष के दौरान कटोती		
आज तक मूल्यह्रास		
II. अन्य स्थिर आस्तियां (इसमे फर्निचर और फिक्चर सम्मिलित हैं)		
पिछले वर्ष के 31 मार्च के लागत पर		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वर्ष के दौरान कटोती		
आज तक मूल्यह्रास		
जोड़ (I और II)		

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		
II. अर्जित ब्याज		
III. अग्रिम रूप से सदेत/स्त्रोत पर कर कटौती		
IV. लेखन सामाग्री और स्टैंप		
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई बैंककारी आस्तियां		
VI. अन्य*		
जोड़		

* यदि हानि का कोई असमायोजित शेष है तो उसे इस मद के अंतर्गत उपयुक्त फुट-टिप्पणी के साथ दिखाया जा सकता है।

अनुसूची 12 – समाश्रित दायित्व

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हे ऋण के रुप में स्वीकार नही किया गया हैं।		
II. आंशिक रुप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता		
III. बकाया वायदा विनिमय अनुबंधों के कारण देयता		
IV. संघटको की ओर से दी गई प्रतिभूतिया		
(a) भारत में		
(b) भारत के बाहर		
V. प्रति-ग्रहण पृष्टकन और अन्य बाध्यताएँ		
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है		
जोड़		

फॉर्म बी

31 मार्च (वर्ष) को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का प्रपत्र

(000's को छोडकर)

		अनुसूची	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	आय			
	अर्जित ब्याज	13		
	अन्य आय	14		
	जोड़			
II.	व्यय			
	व्यय किया गया ब्याज	15		
	प्रचालन व्यय	16		
	उपाबंध और आकस्मिक व्यय			
	जोड़			
III.	लाभ/हानि			
	वर्ष के शुद्ध लाभ/हानि(-)			
	लाभ/हानि(-)आगे लाया गया			
	कुल			
IV.	विनियोजन			
	वैधानिक रिज़र्व का अंतरण			
	अन्य रिज़र्व में अंतरण			
	सरकार को अंतरण/प्रस्तावित लाभांश			
	अतिशेष जो तुलन पत्र मे आगे लाया गया हैं।			

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. ब्याज/, अग्रिमो/विनिमयों पात्रो पर ब्याज/मितीकाटा		
II. विनिधानों पर आय		
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज		
IV. अन्य		
जोड़		

अनुसूची 14 – अन्य आय

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. कमिशन, विनिमय और दलाली		
II. विनिधानों के विक्रय पर लाभ		
घटः विनिधानों के विक्रय पर हानि		
III. विनिधानों के पूनर्मूल्यांकन पर लाभ		
घटः विनिधानों के पूनर्मूल्यांकन पर हानि		
IV. भूमि, भवनो और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ		
घटः भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की विक्रय पर हानि		
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ		
घटः विनिमय संव्यवहारों पर हानि		
VI. विदेश/भारत में स्थापित समनुषंगियों /कंपनियों और/या सह उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय		
VII. प्रकिर्ण आय		
जोड़		

*नोटःमद संख्या I से*V के अंतर्गत घाटे कोष्ठको में दिखाए जाएं।

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. निक्षेपों पर ब्याज		
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधारो पर ब्याज		
III. अन्य		
जोड़		

अनुसूची 16 – परिचालन व्यय

	31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए व्यवस्था		
II. भाटक, कर और लाइटिंग		
III. मुद्रण और लेखन सामग्री		
IV. विज्ञापन और प्रचार		
V. बैंको की संपत्ति पर मूल्यहर्रास		
VI. निदेशक की फीस, भत्ते और व्यय		
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं)		
VIII. विधि प्रभार		
IX. डाक, महसूल, तार और टेलीफोन, आदि.		
X. मरम्मत और अनुरक्षण		
XI. बीमा		
XII. अन्य व्यय		
जोड़		

अनुबंध II

समेकित वित्तीय विवरणों का प्रारूप

समेकित तुलन पत्र का प्रारूप

समेकित तुलन पत्र ____ (यहां मूल बैंक का नाम दर्ज करें)

31 मार्च (वर्ष) को तुलन पत्र

(करोड़ रु. में राशि)

विवरण	अनुसूची	31.3 . पर वर्त मान वर्ष में	31.3 . पर (पि छले वर्ष)
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1		
आरक्षित और अधिशेष	2		
अल्पसंख्यक हित	2ए		
जमा राशियाँ	3		
उधार	4		
अन्य देंनदारियों तथा प्रावधान	5		
जोड़			
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष	6		
बैंको में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	7		
विनिधान	8		
अग्रिम	9		
स्थिर	10		
अन्य आस्तियां	11		
समेकन पर गुडविल			
जोड़			
समाश्रित दायित्व	12		
संग्रह के लिए बिल			

समेकित लाभ और हानि खाते का प्रारूप

समेकित लाभ और हानि खाता ___ (यहां मूल बैंक का नाम दर्ज करें)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता

(करोड़ रु. में राशि)			
विवरण	**अनुसूची**	**वर्ष समाप्त 31.3 . __ (वर्तमान वर्ष)**	**वर्ष समाप्त 31.3 . __ (पिछला वर्ष)**
I. आय			
अर्जित ब्याज	13		
अन्य आय	14		
कुल			
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15		
प्रचालन व्यय	16		
उपाबंध और आकस्मिक व्यय			
कुल			
एसोसिएट्स में कमाई/हानि का हिस्सा			
अल्पसंख्यकों का ब्याज काटने से पहले के वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ/(हानि)			
घटाएं: अल्पसंख्यकों का हित			
समूह के कारण वर्ष के लिए समेकित लाभ/(हानि)			
जोड़ें: समूह के कारण समेकित लाभ/(हानि) को आगे लाया			
III. विनियोग			
वैधानिक रिज़र्व का अंतरण			
अन्य रिज़र्व में अंतरण			
सरकार को अंतरण/प्रस्तावित लाभांश			
अतिशेष जो तुलन पत्र मे आगे लाया गया हैं			

जोड़			
प्रति शेयर आय [1]			

[1] *प्रति शेयर कमाई मूल और* अवमिश्रण *दोनों के लिए होगी।*

अनुसूची 1 – पूंजी		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
प्राधिकृत पूंजी		
(_____रूपये प्रति शेयर वाले ___ शेयर)		
जारी पूंजी		
(_____ रूपये प्रति शेयर वाले ___ शेयर)		
अभिदत्त पूंजी		
(_____रू. के ___ शेयर)		
जोड़		

अनुसूची 2 - आरक्षित और अधिशेष [1]		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
कानूनी आरक्षितिया		
पूंजी आरक्षितिया		
समेकन पर आरक्षित पूंजी[2]		
शेयर प्रीमियम		
अन्य आरक्षित (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
राजस्व और अन्य आरक्षितिया		
लाभ और हानि खाते का अधिशेष [3]		
जोड़		

1. अंतिम समेकित तुलन पत्र के बाद से आरंभिक शेष, परिवर्धन और कटौतियां प्रत्येक विनिर्दिष्ट शीर्ष के अंतर्गत दर्शाई जाएंगी।
2. जहां एक से अधिक अनुषंगी हैं और कुछ मामलों में समेकन के परिणाम सद्भावना और अन्य मामलों में पूंजी आरक्षित हैं, अलग-अलग नोट देने के बाद अनुसूची *2* या आस्ति पक्ष में निवल प्रभाव दिखाया जाएगा।
3. हानि के मामले में शेष राशि को कटौती के रूप में दिखाया जाएगा।

अनुसूची 2ए - अल्पसंख्यक हित		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
माता-पिता-सहायक संबंध अस्तित्व में आने की तिथि पर अल्पसंख्यक हित		
बाद में वृद्धि / कमी		
बैलेंस शीट की तारीख पर अल्पसंख्यक ब्याज		

अनुसूची 3 - जमा राशियाँ		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
ए. I. मांग निक्षेप		
(i) बैंकों से		
(ii) दूसरों से		
II. बचत बैंक निक्षेप		
III. मियादी निक्षेप		
(i) बैंकों से		
(ii) दूसरों से		
जोड़ (I, II और III)		
बी. (i) भारत में शाखाओं के निक्षेप[1]		
(ii) भारत से बाहर शाखाओं के निक्षेप[2]		
जोड़ (i और ii)		

1. सहायक कंपनियों की भारतीय शाखाओं की जमा राशि शामिल है
2. सहायक कंपनियों की विदेशी शाखाओं की जमा राशि शामिल है

अनुसूची 4 – उधार		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. भारत में उधार		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक		
(ii) अन्य बैंक		
(iii) अन्य संस्थान व अभिकरण		

II. भारत के बाहर उधार		
जोड़ (I और II)		
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार -- रूपये		

अनुसूची 5 - अन्य देंनदारियों तथा प्रावधान		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. देय बिल		
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		
III. अर्जित ब्याज		
IV. विलंबित कर उत्तरदायित्व		
V. अन्य (प्रावधानों सहित)		
जोड़		

अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. हाथ में नकद (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)		
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष		
(i) चालू खाते में		
(ii) अन्य खातों में		
जोड़ (I और II)		

अनुसूची 7 - बैंको में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. भारत में		
(i) बैंकों में अतिशेष		
(ए) चालू खातों में		
(बी) अन्य जमा खातों में		
(ii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन		
(ए) बैंकों के साथ		
(बी) अन्य संस्थानों के साथ		
जोड़ (i और ii)		
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खाते में		
(ii) अन्य जमा खातों में		
(iii) कॉल और शॉर्ट नोटिस पर पैसा		
जोड़ (i, ii और iii)		
जोड़ योग (I और II)		

अनुसूची 8 - विनिधान		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. भारत में विनिधान		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां		
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
(iii) शेयर		
(iv) डिबेंचर और बध पत्र		
(v) एसोसिएट्स		
(vi) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		
II. भारत के बाहर विनिधान		

अनुसूची 8 - विनिधान		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)		
(ii) एसोसिएट्स		
(iii) अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट किया जाना है)		
जोड़		
जोड़ योग (I और II)		
III. भारत में विनिधान		
(i) विनिधानका सकल मूल्य		
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का योग		
(iii) निवल निवेश		
IV. भारत के बाहर विनिधान		
(i) विनिधान का सकल मूल्य		
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का योग		
(iii) निवल निवेश		

अनुसूची 9 - अग्रिम		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
ए. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल		
(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और ऋण		
मांग पर चुकाने योग्य		
जोड़ (i, ii और iii)		
बी. (i) मूर्त आस्ति द्वारा सुरक्षित (पुस्तक ऋणों के खिलाफ अग्रिम शामिल है)		
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किया गया		
(iii) असुरक्षित		
जोड़ (i, ii और iii)		
सी. आई. भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र		
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र		
(iii) बैंक		

अनुसूची 9 - अग्रिम		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
(iv) अन्य		
जोड़ (I, ii, iii और iv)		
सी.II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से देय		
(ii) दूसरों के कारण		
(ए) खरीदे और भुनाए गए बिल		
(बी) सिंडिकेटेड ऋण		
(सी) अन्य		
जोड़ (i और ii)		
सकल जोड़ (सी.I. और सी.II.)		

अनुसूची 10 - स्थिर आस्तियां		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. परिसर		
पूर्ववर्तीय वर्ष की 31 मार्च के अनुसार लागत		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वर्ष के दौरान कटौती		
आज तक मूल्यह्रास		
Iए) निर्माणाधीन परिसर		
II. अन्य अचल आस्तियां (इसमे फर्निचर और फिक्चर सम्मिलित हैं)		
इसमे फर्निचर और फिक्चर सम्मिलित हैं		
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वर्ष के दौरान कटौती		
आज तक मूल्यह्रास		
IIए) पट्टे पर दी गई आस्ति		
पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत पर		
समायोजन सहित वर्ष के दौरान परिवर्धन		
प्रावधानों सहित वर्ष के दौरान कटौती		
आज तक मूल्यह्रास		
जोड़ (I, Iए, II और IIए)		

अनुसूची 10 - स्थिर आस्तियां		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
III. पूंजीगत-कार्य-प्रगति में (पट्टे पर आस्तियों सहित) प्रावधानों का निवल		
जोड़ (I, Iए, II, IIए और III)		

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		
II. अर्जित ब्याज		
III. अग्रिम रूप से सदेत/स्त्रोत पर कर कटौती		
IV. लेखन सामाग्री और स्टैंप		
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई बैंककारी आस्तियां		
VI. आस्थगित कर आस्तियां		
VII. अन्य		
जोड़		

अनुसूची 12 - समाश्रित दायित्व		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हे ऋण के रुप में स्वीकार नही किया गया हैं।		
II. आंशिक रुप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता		
III. बकाया वायदा विनिमय अनुबंधों के कारण देयता		
IV. घटकों की ओर से दी गई गारंटी		
(ए) भारत में		
(बी) भारत के बाहर		
V. प्रति-ग्रहण पृष्टकन और अन्य बाध्यताएँ		
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है		
जोड़		

अनुसूची 13 - संग्रहण के लिए बिल		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. अग्रिम/बिलों पर ब्याज/छूट		
II. निवेश पर आय (लाभांश सहित)		
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर-बैंक निधियों के साथ शेष राशि पर ब्याज		
IV. अन्य		
जोड़		

अनुसूची 14 - अन्य आय		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. कमिशन, विनिमय और दलाली		
II. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ कम: भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि		
III. विनिमय लेनदेन पर लाभ कम: विनिमय लेनदेन पर हानि		
IV. निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल) कम: निवेश की बिक्री पर हानि		
V. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ कम: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि		
VI. क) लीज वित्त आय बी) पट्टा प्रबंधन शुल्क ग) अतिदेय शुल्क डी) लीज रेंट प्राप्य पर ब्याज		
VII. विविध आय		
जोड़		

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. निक्षेपों पर ब्याज		
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधार पर ब्याज		
III. अन्य		
जोड़		

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय		
विवरण	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**	**31-3------- की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)**
I. कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान		
II. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था		
III. छपाई और लेखन सामग्री		
IV. विज्ञापन और प्रचार		
v. (ए) पट्टे पर दी गई आस्ति के अलावा बैंक की आस्ति पर मूल्यह्रास		
(बी) पट्टे पर दी गई आस्ति पर मूल्यह्रास		
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय		
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय सहित)		
VII. कानून शुल्क		
IX. डाक, तार, टेलीफोन, आदि।		
X. मरम्मत और रखरखाव		
XI. बीमा		
XII. सद्भावना का परिशोधन, यदि कोई हो		
XIII. अन्य व्यय		
जोड़		

टिप्पणियाँ:

1. समेकित बैलेंस शीट और समेकित लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त लाइन आइटम, शीर्ष और उप-शीर्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और जब किसी विधिक, लेखा मानकों की आवश्यकता होती है या जब समूह की वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों के बारे में सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करने के लिए ऐसी प्रस्तुति आवश्यक होती है। आईसीएआई द्वारा जारी सीएफएस लेखा मानकों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में, बैंकों पर लागू सीमा तक, और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।